उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

New Pattern

UPPCS (Mains)

सामान्य हिन्दी, निबन्ध

एवं

सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र I, II, III, IV, V, VI

विवरणात्मक विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

प्रधान सम्पादक

आनन्द कुमार महाजन

लेखन, संपादन एवं संकलन

मुख्य परीक्षा विशेषज्ञ समिति

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण, चरन सिंह

संपादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 (उ. प्र.)

मो. : 9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com/www.yctfastbook.com

website : www.yctbooksprime.com

प्रकाशन घोषणा

सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने E:Book by APP YCT BOOKS, से मुद्रित करवाकर, वाई.सी.टी. पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव एवं सहयोग सादर अपेक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

विषय सूची

- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम........ 2-4
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018, सामान्य हिन्दी........ 5-8
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018, निबन्ध........ 9-15
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018, सामान्य अध्ययन-I........ 16-24
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018, सामान्य अध्ययन-II........ 25-33
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018, सामान्य अध्ययन-III........ 34-44
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018, सामान्य अध्ययन-IV........ 45-56
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019, सामान्य हिन्दी........ 57-61
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019, निबन्ध........ 62-68
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019, सामान्य अध्ययन-I........ 69-76
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019, सामान्य अध्ययन-II........ 77-84
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019, सामान्य अध्ययन-III........ 85-92
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019, सामान्य अध्ययन-IV........ 93-99
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020, सामान्य हिन्दी........ 100-104
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020, निबन्ध........ 105-111
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020, सामान्य अध्ययन-I........ 112-119
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020, सामान्य अध्ययन-II........ 120-126
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020, सामान्य अध्ययन-III........ 127-133
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020, सामान्य अध्ययन-IV........ 134-140
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021, सामान्य हिन्दी........ 141-145
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021, निबन्ध........ 146-154
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021, सामान्य अध्ययन-I........ 155-167
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021, सामान्य अध्ययन-II........ 168-177
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021, सामान्य अध्ययन-III........ 178-187
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021, सामान्य अध्ययन-IV........ 188-196
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022, सामान्य हिन्दी........ 197-201
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022, निबन्ध........ 202-210
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022, सामान्य अध्ययन-I........ 211-222
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022, सामान्य अध्ययन-II........ 223-235
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022, सामान्य अध्ययन-III........ 236-248
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022, सामान्य अध्ययन-IV........ 249-256
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2023, सामान्य हिन्दी........ 257-260
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2023, निबन्ध........ 261-268
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2023, सामान्य अध्ययन-I........ 269-277
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2023, सामान्य अध्ययन-II........ 278-288
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2023, सामान्य अध्ययन-III........ 289-302
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2023, सामान्य अध्ययन-IV........ 303-311
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2023, सामान्य अध्ययन-V........ 312-323
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2023, सामान्य अध्ययन-VI........ 324-336

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य (लिखित) परीक्षा

पाठ्यक्रम

सामान्य हिन्दी

(1) दिये हुए गद्य खण्ड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। (2) संक्षेपण
(3) सरकारी एवं अर्द्धसरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र।
(4) शब्द-ज्ञान एवं प्रयोग।
(अ) उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग (ब) विलोम शब्द
(स) वाक्यांश के लिए एक शब्द (द) वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि
(5) लोकोक्ति एवं मुहावरे।

निबन्ध

निबन्ध के प्रश्न पत्र में तीनों खण्डों में प्रत्येक खण्ड में एक-एक विषय पर 700 (सात सौ) शब्दों में निबन्ध लिखना होगा। प्रत्येक खण्ड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खण्डों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबन्ध के प्रश्न होंगे।

खण्ड (क) : 1. साहित्य और संस्कृति 2. सामाजिक क्षेत्र 3. राजनीतिक क्षेत्र

खण्ड (ख) : 1. विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी 2. आर्थिक क्षेत्र
3. कृषि उद्योग एवं व्यापार

खण्ड (ग) : 1. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
2. प्राकृतिक अपदाएँ, भू-स्खलन भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि
3. राष्ट्रीय विकास योजनाएँ एवं परियोजनाएं

सामान्य अध्ययन-I

1. भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला-रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे।
2. आधुनिक भारतीय इतिहास (1757 ई. से 1947 ई. तक) – महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि।
3. स्वतंत्रता संग्राम – इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति/उसका योगदान।
4. स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन (1965 ई. तक)।
5. विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से बीसवीं सदी के मध्य तक की घटनाएं जैसे फ्रांसीसी क्रान्ति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उसके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगें।
6. भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं।
7. महिला – समाज और महिला – संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा सम्बद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान।
8. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव।
9. सामाजिक सशक्तीकरण, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।
10. विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण – जल, मिट्टियाँ एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में (भारत के विशेष संदर्भ में)।
11. भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं – भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएँ, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन एव हिम सरिताएं।
12. भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उसकी संभाव्यता।
13. मानव प्रवास–विश्व की शरणार्थी समस्या–भारत–उपमहाद्वीप के संदर्भ में।
14. सीमान्त तथा सीमाएं – भारत उप – महाद्वीप के संदर्भ में।
15. जनसंख्या एवं अधिवास – प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम।

सामान्य अध्ययन-II

1. भारतीय संविधान – ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका।
2. संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।
3. केन्द्र – राज्य वित्तीय सम्बन्धों में वित्त आयोग की भूमिका।
4. शक्तियों का पृथककरण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग।
5. भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना।
6. संसद और राज्य विधायिका – संरचना, कार्य, कार्य- संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय।
7. कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहित याचिका (पी.आई.एल.)।
8. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
9. विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व।
10. सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध - न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत – उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग।
11. सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.)।
12. विकास प्रकियाएं – गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक।
13. केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गो के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य - निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
14. स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय।
15. गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ।
16. शासन व्यवस्था, पारदार्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई - गवर्नेंस–अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय।
17. लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका।
18. भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध।
19. द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।
20. भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।
21. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच – उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्य भाग।
22. क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम।

सामान्य अध्ययन-III

1. भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ, नीति (एन.आई. टी.आई.) आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य (एस.डी.जी.)।
2. गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास।
3. सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली।
4. प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई-तकनीकी।
5. अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली – उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण खाद्य सुरक्षा एवं बफर भण्डार, कृषि में तकनीकी अभियान।

6. भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग-कार्यक्षेत्र एव महत्व, स्थान निर्धारण, उर्ध्व व अधोप्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन।
7. भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार।
8. भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव।
9. आधारभूत संरचनाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि।
10. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में, भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग।
11. विज्ञान एव प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण, द्विअनुप्रयोगी एवं तकनीकि उपयोगी प्रौद्योगिकियाँ।
12. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से सम्बन्धित मुद्दे।
13. पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधिता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आंकलन।
14. आपदाः गैर – पारम्परिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में, आपदा शमन एवं प्रबन्धन।
15. अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँः आणुविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तन्त्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लाउन्डरिंग तथा मानव तस्करी।
16. भारत की आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियांः आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत तथा संगठित अपराध।
17. सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन।
18. कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे।

सामान्य अध्ययन-IV

1. **नीतिशास्त्र तथा मानवीय अन्तः** सम्बन्ध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सारतत्व, इसके निर्धारक और परिणामः नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र।
   मानवीय मूल्य – महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासको के जीवन तथा उसके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।
2. **अभिवृत्ति :** अंर्तवस्तु (कंटेन्ट), संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरूचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना।
3. सिविल सेवा के लिए अभिरूचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर-तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गो के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करूणा।
4. **संवेगात्मक बुद्धि :** अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग।
5. भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान।
6. **लोक प्रशासनों में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र :** स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतर्रात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था (फंडिग) में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था।
7. **शासन व्यवस्था में ईमानदारी :** लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक-निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां।
8. उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

सामान्य अध्ययन-V

1. उ.प्र. का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर।
2. उ.प्र. की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रख-रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व।
3. भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उ.प्र. का योगदान।
4. उ.प्र. के सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व।
5. उ.प्र. में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्देः सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा एवं साहित्य/बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन।
6. उ.प्र. की राजव्यवस्था – शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान सभा एवं विधान परिषद, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध।
7. उ.प्र. में लोक सेवाएँ, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महामन्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र।
8. उ.प्र. – विशेष राज्य चयन मानदण्ड, राजभाषा संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग।
9. उ.प्र. में स्थानीय स्वशासनः शहरी एवं पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार सम्बन्धी मुद्दे।
10. उ.प्र.-सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर ई-गवर्नेस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना।
11. उ.प्र. में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव।
12. उ.प्र. में सुरक्षा से जुड़े मुद्देः-
    (i) उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच सम्बन्ध।
    (ii) बाह्य, राज्य एवं अन्तर राज्यीय सक्रियकों से आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ पैदा करने में संचार नेटचर्को, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका।
    (iii) साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, कालेधन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम।
    (iv) विभिन्न सुरक्षा बल एव एजेंसियाँ और उनके शासनादेश/अधिकार-पत्र।
    (v) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबन्धन, संगठित अपराधों का आंतकवाद से संबंध।
13. उ.प्र. में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा।
14. उ.प्र. में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे।
15. उ.प्र. में शिक्षा प्रणाली।
16. भारत के विकास में उ.प्र. की भूमिका।
17. उ.प्र. की समसामयिक घटनाएं।
18. जल शक्ति मिशन एवं अन्य केन्द्रीय योजनायें एवं उनका क्रियान्वयन।
19. उ.प्र. में गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)ः मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव।
20. उ.प्र. में पर्यटनः मुद्दे एवं सम्भावनायें
21. उ.प्र. में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारः इसके मुद्दें एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक – आर्थिक विकास पर प्रभाव।

सामान्य अध्ययन-VI

1. उ.प्र. का आर्थिक परिदृश्य : अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढाँचा एव भौतिक संसाधनों का महत्व।
2. उ.प्र. का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग।
3. उ.प्र. सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएँ, परियोजनाएँ एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास।
4. उ.प्र. में निवेशः मुद्दे एवं प्रभाव।
5. उ.प्र. की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति।
6. उ.प्र. में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर – नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबन्धन।
7. उ.प्र. की जनांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना।
8. उ.प्र. में कृषि का व्यावसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन।
9. उ.प्र. की नवीन वानिकी नीति।
10. उ.प्र. की कृषि एवं सामाजिक वानिकी।
11. उ.प्र. में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएँ एवं उनका समाधान।
12. उ.प्र. के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक।
13. उ.प्र. का भूगोल – भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एव संरचना, जलवायु सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति।
14. उ.प्र. में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य।
15. उ.प्र. में परिवहन तंत्र।
16. उ.प्र. में औद्योगिक विकास शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना।
17. उ.प्र. में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य।
18. उ.प्र. के प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, वायु, वन, घास-मैदान, आद्रभूमि।
19. उ.प्र. के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से सम्बन्धित मुद्दे।
20. उ.प्र. के सन्दर्भ में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र-संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव-जन्तु एवं वनस्पतियां।
21. उ.प्र. में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न।
22. उ.प्र. में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन तथा उ.प्र. के विकास में इनका प्रभाव।
23. उ.प्र. के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018

सामान्य हिन्दी

निर्धारित समय : तीन घंटे **अधिकतम अंक : 150**

Time Allowed : Thee Hours **Maximum Marks : 150**

नोट : (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के अंत में अंकित हैं।

(iii) पत्र, प्रार्थना–पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ अथवा अन्य का नाम, पता एवं अनुक्रमांक न लिखें। आवश्यक होने पर क, ख, ग लिख सकते हैं।

1. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िये और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

<u>मैं साहित्य को मुनष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदु:खकातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है।</u> मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। <u>आज नाना भाँति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अन्धा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मुनष्य के हित की बात सोचना असम्भव हो गया है।</u> ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ–प्रेम ने मुनष्यता को दबोच लिया है। <u>दुनिया छोटे-छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है।</u> अपने दल के बाहर का आदमी सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। उसके रोने गाने तक पर असदुद्देश्य का आरोप किया जाता है। उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है।

(क) प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए।

(ख) साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए।

(ग) प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर- गद्यांश का भावार्थ

(क) लेखक के अनुसार सच्चे अर्थों में साहित्य वह होता है जो मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करने में समर्थ हो। ऐसा साहित्य जो मनुष्य को प्रेरित न कर सके या उसे कुण्ठा एवं हीनता से बाहर न निकाल सके, उसे साहित्य नहीं मात्र वाग्जाल कहना चाहिए। लेखक के अनुसार यह एक कठिन समय है जबकि समाज संकीर्ण मानसिकता एवं साम्प्रदायिक भेद-भाव का शिकार है। दलगत स्वार्थ ने मानवता को खण्डित किया है। आज महज मुनष्य की दलगत भिन्नता ही उसे मजाक का पात्र बनाती है।

(ख) 'साहित्य' का शाब्दिक अर्थ होता है - हित सहित। ऐसे समस्त विचार या संग्रह जो मानव मात्र के कल्याण के लिए हो 'साहित्य' कहलाते हैं। साहित्य मनुष्य में मानवीय गुणों का परिष्कार करके उसे स्वावलम्बी बनाता है, उसके हृदय को संवेदनशील एवं उदार बनाता है तथा उसके आत्मिक गुणों का विकास करता है। साहित्य मनुष्य को संकीर्ण स्वार्थों से उबार कर उसमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना का विकास करता है। सच्चे अर्थों में साहित्य ही मनुष्य को मुनष्य बनाता है।

(ग) रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या–

(i) मैं साहित्य ---------------- संकोच होता है।

व्याख्या– लेखक के अनुसार साहित्य का परम उद्देश्य मानव में मानवीय गुणों का विकास करना है। साहित्य से मनुष्य सद्‌गति को प्राप्त करता है, वह कुण्ठा एवं हीनता से मुक्त होकर स्वावलम्बी बनता है। साहित्य से मनुष्य की आत्मा का विकास होता है। साहित्य से मनुष्य में सहनशीलता, संवेदना, परस्पर सुख-दु:ख के भावों के समझ का विकास होता है। यदि कोई साहित्य अपने उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल है तो वह साहित्य नहीं हो सकता ऐसी दशा में उसे 'वाग्जाल' कहना ही बेहतर है।

(ii) आज नाना ---------- असम्भव हो गया है।

व्याख्या– गद्यांश के अनुसार आज समाज में सर्वथा स्वार्थ व्याप्त है। स्वार्थ ने मनुष्य के विवेक को नष्ट कर दिया है और इसी विवेकहीनता ने समाज को भिन्न–भिन्न समुदायों एवं दलों में विभक्त कर दिया है। इसी स्वार्थ के अधीन होकर मनुष्य मात्र अपने ही जाति धर्म के हित में सोचता है, वह मानव मात्र के कल्याण के लिए सोच ही नहीं पाता।

(iii) दुनिया छोटे-छोटे -------------- हो गई है।

व्याख्या– आत्ममुग्धता स्वार्थ को जन्म देती है, स्वार्थ संकीर्णता को और संकीर्ण स्वार्थ समाज को खण्डित करता है तथा मनुष्य- मनुष्य में भेद पैदा करता है। भेद ही समाज को भिन्न-भिन्न दलों में विभक्त करता है।

2. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए।

परिवर्तन से हम बच नहीं सकते। परिवर्तन से बचना अगति और दुर्गति को आमन्त्रित करना है। यद्यपि स्थिरता में किसी अंश से सुरक्षा है, तथापि बिना जोखिम लिए आगे नहीं बढ़ा जाता है। नियमों की स्थिरता जो विज्ञान में है और स्फूर्तिमय जीवन की गतिशीलता जो साहित्य में है, दोनों के बीच का हमें संतुलित मार्ग खोजना है। जीवन के संतुलनों में नए और पुराने का संतुलन भी विशेष महत्व रखता है। संसार की गतिशीलता के साथ हमकों भी गतिशील होना पड़ेगा, किन्तु आँखें मूँदकर अंधकार की खाई में कूदना शूरता नहीं है। हमको आगे कदम बढ़ाना है किन्तु आँखें खोलकर। नवीन के लिए हम अपने मनमंदिर का द्वार सदा खुला रखें, पूर्वाग्रहों से काम न लें। उसके पक्ष और विपक्ष की युक्तियों को न्याय की तुला पर तौलें। एक सीमा के भीतर नए प्रयोगों को भी अपने जीवन में स्थान दें, किन्तु केवल नवीनता के प्रमाण–पत्र मात्र से सन्तुष्ट न हो जाएं। जिस तर्कबुद्धि को हम प्राचीन प्रथाओं के उन्मूलन में लगाते हैं उसी निर्मम तर्क को नवीन के परीक्षण में भी लगावें किन्तु नवीन को भूत की भाँति भय का कारण न बनावें।

(क) प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए।

(ख) प्राचीन और नवीन में सन्तुलन क्यों आवश्यक है? विचार कीजिए।

(ग) प्रस्तुत गद्यांश का संक्षेपण कीजिए।

उत्तर-

(क) गद्यांश का शीर्षक– 'संतुलन का महत्व'

(ख) सतत परिवर्तनशीलता ही शाश्वत सत्य है। परिवर्तन नवीनता को जन्म देता है। यह नवीनता काल के गर्त में समाहित होकर प्राचीनता में परिवर्तित होती रहती है। प्राचीनता हमें हमारे मूल एवं आधार से जोड़े रखती है और वहीं नवीनता भविष्य की ओर देखने को बाध्य करती है। भविष्योन्मुख दृष्टि प्रगति का परिचायक है। इस तरह दोनों के मध्य संतुलन हमें अपने मूल से जुड़े हुए भी प्रगति करने के अवसर प्रदान करता है। परन्तु पूर्वाग्रह एवं अंधविश्वास जो क्रमश: प्राचीनता एवं नवीनता से उपजते इस संतुलन के उद्देश्य को नष्ट न कर दें, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

(ग) गद्यांश का संक्षेपण– 'परिवर्तन एवं संतुलन' परिवर्तन से बचने के प्रयत्न में हम दुर्गति को आमन्त्रित करते हैं। स्थिरता में सुरक्षा एवं जोखिम दोनों निहित है। स्थिरता एवं गतिशीलता में संतुलन बनाने के लिए हमें विज्ञान के नियमों तथा साहित्य के स्फूर्तिमय जीवन में संतुलन बनाना पड़ेगा। विरुद्धों का संतुलन ही जीवन है। प्राचीन व नवीन के मध्य संतुलन भी इसका एक उदाहरण है, परन्तु इस सम्बन्ध में हमें पूर्वाग्रह एवं अंधविश्वास का परित्याग करना चाहिए प्राचीन प्रथाओं के उन्मूलन की ही भाँति नवीन प्रयोग में भी तर्कशीलता का परिचय देना चाहिए।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(क) 'अधिसूचना' को परिभाषित करते हुए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति वय बढ़ाने के सन्दर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए।

(ख) स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजने के लिए एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से पूर्व में माँगी गई सहायता को यथाशीघ्र स्वीकृत करने के लिए आग्रह किया गया हो।

उत्तर-

(क) अधिसूचना की परिभाषा–प्रथम व द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थायीकरण, सेवानिवृत्ति, तैनाती तथा अवकाश स्वीकृति आदि से संबंधित सरकारी सूचना को अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के स्तर से जारी की जाती है। अत; इसे सरकारी गजट में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है।

अधिसूचना की विशेषताएँ–

- अधिसूचना का विधिक महत्त्व है। यह उन विषयों के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें शासन नीतिगत मुद्दा सम्मिलित होता है। अधिसूचना शासकीय विषयों का सबसे प्रभावित दस्तावेज माना जाता है।
- अधिसूचना राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए इसका प्रकाशन सरकारी गजट में किया जाता है।
- यह किसी विभाग के संबंध में सरकारी सूचना होती है। कभी–कभी यह आम जनता से संबंधित होती है।
- अधिसूचना में पृष्ठांकन अनिवार्य होता है। सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी को पृष्ठांकन की एक प्रति भेज दी जाती है।
- अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सरकार के निर्णय की जानकारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ–साथ जनसाधारण को भी हो जाय।

अधिसूचना का उदाहरण–

(कार्मिक मंत्रालय, उ0प्र0 शासन अनुभाग-1)

सं0.–125/ई/-1/2020

दि0– 20 मई, 2020, लखनऊ

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने राज्य के समस्त सेवानिवृत्ति शिक्षकों की, सेवानिवृत्ति वय बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष को विस्तार देते हुए 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। यह वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 2020 में लागू मानी जाएगी।

आज्ञा से
हस्ताक्षर
(अ. ब. स.)
मुख्य सचिव।

संख्या– 125/ई/-1/2020 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनुसचिव शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. कोषाधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

हस्ताक्षर

(अ. ब. स.)

मुख्य सचिव।

(ख) अर्ध–सरकारी पत्र– समान स्तर के अधिकारियों के मध्य सरकारी कामकाज से लिखे गये पत्र को अर्ध–सरकारी पत्र कहा जाता है। इस पत्र का स्वरूप अनौपचारिक होता है। यह व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है।

अर्ध–सरकारी पत्र का प्रारूप–

क. ख. ग. अ.शा. पत्र सं.-210 ई-1/2020

सचिव स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0

अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक -10 मई, 2020

प्रिय श्री महोदय,

मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उत्तर प्रदेश पिछले पाँच माह से बच्चों के कुपोषण से जूझ रहा है जिस कारण से हजारों बच्चों ने अपनी जान गवाँ दी। पिछले माह उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को एक पत्र लिखकर आर्थिक सहायता की माँग की थी, जिस पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इससे स्थिति और गम्भीर होती जा रही है।

अत: मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस मुद्दे पर व्यक्तिगत ध्यान देकर सहायता राशि स्वीकृति कराने की कृपा करें ताकि समय रहते बच्चों को इस समस्या से निजात दिलाया जा सके।

ससम्मान!

भवनिष्ठ

ह0 ....

(क. ख. ग.)

श्री अ. ब. स.

सचिव,

स्वास्थ्य मंत्रालय,

भारत सरकार,

नई दिल्ली।

4. निम्नलिखित उपसर्गों/प्रत्ययों से एक-एक शब्द की रचना कीजिए:
अधि, परि, भर, अठ, नि, खुश, इक, आइन, आई, अक्कड़

उत्तर-

उपसर्ग/प्रत्यय	निर्मित शब्द
अधि	अधिकार, अधिशासी, अध्यात्म, अध्यक्ष
परि	परिक्रमा, परिभ्रमण, परिणाम, परिधि, परिसीमन
भर	भरपेट, भरपूर, भरसक, भरकोस
अठ	अठन्नी, अठखेलियाँ, अठवारा, अठमासा
नि	निषेध, निकम्मा, निठल्ला, निधड़क
खुश	खुशदिल, खुशकिस्मत, खुशमिजाज, खुशखबरी
इक	शाब्दिक, आर्थिक, व्यावहारिक, औपन्यासिक
आइन	ठकुराइन, पण्डिताइन, ललाइन, बनियाइन
आइ	मिठाई, ठकुराई, लिखाई, बुआई, चढ़ाई
अक्कड़	पियक्कड़, बुझक्कड़, कुदक्कड़, घुमक्कड़

5. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए:आवरण, कृतज्ञ, अज्ञ, नैसर्गिक, अधम, आहूत, सकर्मक, मान, घात, वैतनिक

उत्तर-

शब्द	विलोम
आवरण	अनावरण
कृतज्ञ	कृतघ्न
अज्ञ	विज्ञ
नैसर्गिक	कृत्रिम
अधम	उत्तम
आहूत	अनाहूत
सकर्मक	अकर्मक
मान	अपमान
घात	प्रतिघात
वैतनिक	अवैतनिक

6. (क) निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए:

(i) यह आँखों से देखी घटना है।
(ii) सौ रूपया सधन्यवाद प्राप्त हुआ।
(iii) गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी?
(iv) दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है।
(v) मैंने बोला कि कल मत आना।

(ख) निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन कीजिए:

शिक्षणेत्तर, उपरोक्त, सौहार्द्र, पूज्यनीय, सौजन्यता

उत्तर- (क) शुद्ध वाक्य इस प्रकार हैं–

(i) यह आँखों देखी घटना है।

(ii) सौ रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद।

(iii) गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी?

(iv) दक्षिण का अधिकांश पठार है।

(v) मैंने कहा कि कल मत आना।

(ख) शुद्ध वर्तनी से सम्बन्धित विवरण इस प्रकार है–

अशुद्ध		**शुद्ध**
शिक्षणेत्तर	:	शिक्षणेतर
उपरोक्त	:	उपर्युक्त
सोहार्द्र	:	सौहार्द
पुज्यनीय	:	पूजनीय
सौजन्यता	:	सौजन्य

7. निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक–एक शब्द लिखिए :

(i) आकाश को चूमने वाला।

(ii) सन्ध्या और रात के बीच का समय।

(iii) हमेशा रहने वाला।

(iv) सौ में सौ।

(v) जो बात वर्ण से परे हो।

उत्तर- दिये गये वाक्यांशों के लिए एक शब्द इस प्रकार है–

वाक्यांश		**एक शब्द**
आकाश को चूमने वाला	:	गगनचुम्बी
सन्ध्या और रात के बीच का समय	:	गोधूलि
हमेशा रहने वाला	:	शाश्वत
सौ में सौ	:	शतप्रतिशत
जो बात वर्णन से परे हो	:	अवर्णनीय

8. निम्नलिखित मुहावरों/लोकोक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए:

(i) नक्कारखाने में तूती की आवाज।

(ii) मक्खी मारना।

(iii) तिल का ताड़ बनाना।

(iv) सिर आँखों पर बैठाना।

(v) हवा का रंग देखना।

(vi) ढाक के तीन पात।

(vii) गुरू कीजे जाने के , पानी पीजे छान के।

(viii) कर खेती परदेस को जाए, वाको जनम अकारथ जाए।

(ix) फूहड़ चालें, नौ घर हालें।

(x) अपनी करनी पार उतरनी।

उत्तर-(i) नक्कारखाने में तूती की आवाज- बड़े लोगों के बीच छोटों की बातों को कौन सुनता है।

प्रयोग – उन बड़े बुजुर्गों एवं बुद्धिजीवियों के बीच श्याम लाल का सुझाव नक्कारखाने में तूती की आवाज की भाँति अनसुनी कर दी गई।

(ii) मक्खी मारना – फालतू बैठे या बेकार के काम करते रहना।

प्रयोग – सरकारी कानून के कारण बेचारे का काम-धन्धा चौपट हो गया, अब बैठा मक्खी मार रहा है।

(iii) तिल का ताड़ बनाना- बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना।

प्रयोग – वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित लगभग सभी योजनाओं को प्रशासकीय अधिकारी उसकी सफलता को जनता के सामने तिल का ताड़ बनाकर प्रदर्शित करते हैं।

(iv) सिर आँखों पर बैठाना – बहुत आदर सत्कार करना।

प्रयोग – गाँधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तब भारतीय जनता ने उन्हें सिर आँखों पर बैठा लिया।

(iv) हवा का रंग देखना – स्थिति देखकर काम करना।

प्रयोग – उसकी सफलता का राज यह है कि वह कोई भी काम हवा का रंग देखकर करता है।

(v) ढाक के तीन पात – सदा एक सी दशा में रहना

प्रयोग – उसके कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण उसकी स्थिति सदा ढाक के तीन पात की तरह रहती है।

(vii) गुरू कीजे जाने के , पानी पीजे छान के – बिना जाँचे परखे किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहिए।

प्रयोग – मोहन के जीवन का एक ही सिद्धान्त हैं गुरु कीजे जाने के, पानी पीजे छान के।

(viii) कर खेती परदेस को जाए, वाको जनम अकारथ जाए- जो व्यक्ति खेती रहने पर भी पैसों के लिए परदेश जाता है उसका जन्म बेकार या निरर्थक है।

प्रयोग – रमेश के पास पाँच बीघे जमीन होते हुए भी वह पैंसो के लिए परदेश जा कर कप-प्लेट धो रहा है उसका जीवन निरर्थक या बेकार है। सत्य ही कहा गया है 'कर खेती परदेश को जाए, वाको जनम अकारथ जाए'।

(ix) फूहड़ चालें, नौ घर हालें – गँवारो का कृत्य स्वयं के साथ-साथ दूसरो को भी क्षति पहुँचाता है।

प्रयोग – रत्नेश की सिगरेट पीने की बुरी लत उसे तो रोगी बना ही रही है साथ ही उसके पास-पड़ोस के लोगों को भी बीमार कर रही है। इसे ही कहते हैं फूहड़ चालै, नौ घर हालै।

(x) अपनी करनी पार उतरनी- अपना किया काम ही फलदायक होता है।

प्रयोग – जीवन में सफल होने के लिए स्वयं परिश्रम करो, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018

निबंध (ESSAY)

निर्धारित समय : तीन घंटे **अधिकतम अंक : 150**

Time Allowed : Three Hours **Maximum Marks : 150**

नोट : (i) **प्रश्न–पत्र तीन खण्डों में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड से केवल एक–एक विषय का चयन कर कुल तीन निबंध हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा उर्दू भाषा में लिखिए।**
(ii) **प्रत्येक निबंध में कुल प्रयुक्त शब्दों की अधिकतम सीमा 700 शब्दों की है।**
(iii) **प्रत्येक निबंध के लिए 50 अंक निर्धारित हैं।**

Note: (i) **The Question paper is divided into three Sections. Write three essays in Hindi or English or Urdu language, selecting one topic from each section.**
(ii) **Words limit each essay is 700 words.**
(iii) **Each essay carries 50 marks.**

SECTION-A (अंक-50)

प्रश्न-1 : The social responsibilities of Literature.

साहित्य का सामाजिक दायित्व

उत्तर- साहित्य और समाज, मनुष्य की रचनाधर्मिता से उपजे ऐसे आयाम हैं, जिसमें मनुष्य ने अपनी महत्त्वकांक्षा, जरूरतों और सपनों का प्रतिबिम्ब देखा है। यह मनुष्य की संवेदनाओं, विचारों तथा कल्पनाओं आदि को विकसित करने में हमारी सहायता करता है, जहाँ से हम प्रणिमात्र की अनुभूति को अपनी अनुभूति का विषय बनाने में समर्थ होते हैं। मानवजाति अपने लम्बे ऐतिहासिक विकासक्रम में जिन सांस्कृतिक उपलब्धियों को सृजित किया है, उसमें साहित्य महत्त्वपूर्ण है। सामान्यतः साहित्य मानवीय भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति का नाम है। समाज मानव सम्बन्धों का वह स्वरूप है जिसके बीच रहते हुये वे अपनी अनेक क्रियाओं एवं व्यवहारों को सम्पन्न करते हैं। वैसे ही साहित्य व साहित्यकार समाज में ही पलते एवं बढ़ते है, इसलिए व्यापक सन्दर्भों में साहित्य व समाज के बीच परस्पर प्रभावित होने ओर प्रभावित करने का सम्बन्ध बनता है।

साहित्य, जो स+हित का मेल है। जहाँ 'स' सहितभाव तथा 'हित' का सम्बन्ध कल्याण से है। अर्थात् 'स हितकरः इति साहित्यः' जो हितकर है वही साहित्य है। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कमायनी में प्रकृति की सौन्दर्य गाथा से मानव कल्याण की भावना को बताया-

''समरस थे सब जड़ या चेतन,
सुन्दर साकार बना था।
चेतनता एक विलसती
आनन्द अखण्ड घना था।''

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्यों को जीव-जन्तुओं से इसलिए विशिष्टता प्राप्त है कि वह समाज में रहता है। किसी समाज के दो पहलू होते हैं, जिसमें प्रथम या बाह्य पहलू के अंतर्गत जन्म, शिक्षा, विवाह, परिवार तथा भाषा-बोली इत्यादि को स्थान दिया जाता है। वही आंतरिक पहलू के अंतर्गत विश्वास, आस्था, विचार इत्यादि को स्थान दिया जाता है। समाज के इन्हीं पहलूओं में से अच्छाई, बुराई, उचित तथा अनुचित को ही आधार मानकर, साहित्यकार जो सृजित करता है, वह ही 'साहित्य' है। इसी कारण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'साहित्य को समाज का दर्पण' कहा हैं।

यदि बात साहित्य एवं समाज के मध्य अन्त:सम्बन्धों की हो तो दुनिया भर के साहित्यकारों, विद्वानों ने अब तक जो चिन्तन किया है, उससे यह प्रकट होता है कि जहाँ एक ओर भाववादी लोग साहित्य एवं समाज के बीच किसी अनिवार्य सम्बन्ध को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य सौन्दर्य सृष्टि करके पाठक को रसानुभूति प्रदान करना होता है। दूसरी ओर भौतिकवादी का कहना है कि साहित्य समाज का ही चित्रण है। साहित्य की कसौटी ही मूलत: सामाजिक कल्याण है। रामचरितमानस में तुलसी दास साहित्य की उपयोगिता के बारे में सामाजिक कल्याण को ही प्रमुखता देते हैं–

'कीरति भनिति भूति भलि सोई
सुरसरि सम सब कहँ हित कोई।'

साहित्य में समाज का चित्रण अवश्य होता है, लेकिन दोनों में प्रतिबिम्ब भाव या यांत्रिक सम्बन्ध नहीं होता अर्थात् साहित्य में समाज आये बिना नहीं रह सकता लेकिन साहित्य इसके आगे बढ़कर अपनी निजी विशेषताओं के द्वारा समाज की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ और भी महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। डॉ. रामविलास शर्मा ने कहा, ''साहित्यरूपी पौधा चूँकि हमारे सामाजिक जीवन की धरती पर ही उगता है, इसलिए साहित्य का इतिहास समाज के इतिहास से अलग न होकर उसी का अंग होता है।''

साहित्य तथा समाज का उद्देश्य अन्तत: मानवीय जीवन का कल्याण है। जहाँ साहित्यकारों के द्वारा अपनी रचनाओं जैसे प्राचीनकाल में मनुस्मृति, पंचतंत्र तथा लीलावती से समाज की उपादेयता को सिद्ध किया गया है। वहीं विदेशी आक्रमणों के कारण हमारे समाज एवं संस्कृति के उत्थान के लिए भक्तिकाल के साहित्यकारों ने रामचरितमानस, सूरसागर तथा दोहावली के माध्यम से समाज के मार्गदर्शन का कार्य किया। आधुनिक काल में अंग्रेजों के विरुद्ध देश को एक करने के लिए मराठा, हिन्द स्वराज, भवानी मंदिर आदि ने कार्य किया। आज हम 21वीं सदी में विश्वशक्ति की राह पर हैं तो इसके लिए 'अग्नि की उड़ान' विजन 2020 ऊर्जा प्रवाह का कार्य कर रही हैं।

साहित्य के द्वारा हमेशा ऐसे साहित्यकार एवं रचनाओं को प्रोत्साहित किया गया, जो समाज में स्थायी अहिंसामूलक वातारवरण, आध्यात्मिकता एवं व्यवहारिता के मध्य सम्बन्ध स्थापित कर 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' के भाव को समाज में प्रकाशवान करता हो। साथ ही साथ साहित्य के द्वारा विघटन को नष्ट कर समाज में एक रूपता लाने

का कार्य एक साहित्यकार ही कर सकता है। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी कृति गीतांजली में 'जनगणमन अधिनायक जय हो' के द्वारा भारत को एकता में बाँधने का कार्य किया।

प्राचीनकाल से आज तक का साहित्यिक विकास देखा जाये, तो इसके द्वारा केवल सौन्दर्य का ही वर्णन ही नहीं, बल्कि समाज में अनेक रूढ़ियाँ, जड़ताएँ, अन्तर्विरोध, कुसंगतियाँ, स्त्री दशा तथा भ्रष्टाचार जैसी बुराईयों को भी साहित्य में स्थान देकर समाज को चेताया भी है।

इस प्रकार साहित्य और समाज एक-दूसरे से अन्योन्याश्रित प्रकार का सम्बन्ध रखते हैं। मानव जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा गया है। यदि दोनों के बीच उद्देश्यपूर्ण सहयोग बना रहा, तब दोनों विधायें मानव जीवन को विस्तार देती रहेंगी और शायद मनुष्य अपनी अनेकानेक समस्याओं का समाधान पाता रहेगा।

प्रश्न-2 : Hindi Language is the symbol of National integrity

हिन्दी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

उत्तर- ''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।''

आधुनिक हिन्दी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले 'भारतेंदु हरिश्चन्द्र का मानना था कि 'निज भाषा यानी की मातृभाषा की उन्नति ही सब तरह की उन्नतियों का मूल आधार है। उल्लेखनीय है कि रूस, जर्मनी, जापान जैसे अनेक देशों ने अपनी, मातृ-भाषा को राष्ट्रभाषा बनाकर तरक्की की है। भाषा, मानव सभ्यता में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। हिन्दी भाषा का प्रयोग तो अधिक से अधिक स्थान पर होता है, परंतु राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए और अधिक प्रयोग एवं प्रसार की आवश्यकता है। राष्ट्रभाषा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से राष्ट्र को सुदृढ़ बनाती है और उसकी एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण रखने में सहायता करती है।

वस्तुत: राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से है, जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं तथा जिसके साथ लोगों का सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव हो। भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है, परंतु इस क्षेत्र में अभी और प्रयास किये जाने की आवयश्कता है।

भारत एक 'भाषायी विविधता' वाला राष्ट्र है। भारत की भाषायी विविधता के बारे में कहा जाता है– 'कोस-कोस में पानी बदले, चार कोस में बनी'। भारत में 22 भाषाओं को 'राजकीय भाषा' का दर्जा प्राप्त है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 2635 भाषाएँ हैं। विभिन्न भाषविदों के विचारों का संश्लेषण करें तो किसी भाषा को राष्ट्र भाषा की कसौटी पर रखा जाता है, तो सर्वप्रथम नाम हिन्दी भाषा का ही आता है।

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में हिन्दी को औपचारिक रूप में राष्ट्रभाषा कहा गया। केशवचन्द्र सेन और बंकिमचन्द्र चटर्जी ने नवजागरण आंदोलन में भी कहा था, देश की एकता हिन्दी भाषा के माध्यम से सम्भव है। आगे चलकर 1918 ई. में महात्मा गांधी ने घोषणा की, हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिन्दी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। लेकिन स्वतंत्रता पश्चात् संविधान निर्माण के समय भाषायी विवाद उत्पन्न होने लगे। भाषा, विवाद का कारण न रहे, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। इसी क्रम में हिन्दी को 'राजभाषा' के रूप में दर्जा देते हुए केन्द्र में सरकारी कार्यों के संचालन के लिए इसे उपयुक्त माना गया। तभी से भारत में राष्ट्रभाषा का मुद्दा ज्वलंत एवं राष्ट्रभाषा का भविष्य चिन्ता का विषय बना है।

बहरहाल भारत की बहुभाषिक स्थिति तथा राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकताओं को सन्तुलित करने के लिए 'त्रिभाषा सूत्र' उपयुक्त हो सकता है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रत्येक बच्चे को तीन भाषाएँ सीखनी चाहिए। उसकी पहली भाषा वह होगी, जो उसकी मातृभाषा है और बच्चे की प्राथमिक शिक्षा इसी भाषा में होनी चाहिए। दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अहिन्दी क्षेत्रों के बच्चों के लिए इसका आशय हिन्दी से होगा, जबकि हिन्दी भाषा के क्षेत्रों के लिए आशय 'आठवीं अनुसूची' में उल्लिखित राष्ट्रीय भाषाओं से किसी एक से होगा। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह बेहतर माना गया है। तीसरी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अर्थात् अंग्रेजी होनी चाहिए, क्योंकि भूमण्डलीय नागरिक बनने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए अंग्रेजी जानना भी अति आवश्यक माना जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाषा के द्वारा ही किसी राष्ट्र तथा वहाँ निवास करने वाले नागरिकों की पहचान होती है, इसलिए प्रत्येक सम्प्रभु राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को अपने राष्ट्र के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करता है और करना भी चाहिए। यद्यपि हिन्दी भाषा भारत के राष्ट्र एकता में महती भूमिका अदा करती है परंतु भारतीय सरकार एवं प्रशासन को इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की जरूरत है। 21वीं सदी में भारत को विश्व शक्ति बनाना है, तो उसे अपने प्रत्येक आयाम को उन्नत एवं विकसित करना होगा।

प्रश्न-3 : Education and Moral Values.

शिक्षा और मूल्य

उत्तर-नीतिशास्त्र की एक प्रसिद्ध उक्ति है, 'ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समाना' अर्थात् ज्ञान से हीन मनुष्य पशु के समान होता है। ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है जो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मनुष्य के सम्यक् विकास के लिए उसके विभिन्न ज्ञान तन्तुओं को प्रशिक्षित करने का कार्य करती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य तथ्यों का ज्ञान नहीं बल्कि मनुष्य में नैतिक मूल्यों का विकास करना है। मूल्य आधारित शिक्षा व्यक्ति में नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा इत्यादि गुणों का निर्माण करती है। किन्तु वर्तमान समय में मनुष्यों के आचरण में होने वाला अवसान चिन्ता का विषय बन गया है। आज नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की महती आवश्यकता है। ये मूल्य न केवल व्यक्तिगत उत्थान के लिए अपितु सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रगति तथा शांति के लिए भी परम आवश्यक हैं।

नैतिक मूल्य जीवन के आधारभूत तत्त्व हैं। नैतिक मूल्यों को धारण किए बिना कोई भी समाज शाश्वत नहीं रह सकता है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज को सार्थक, सकारात्मक और सृजनात्मक बनाने के लिए जीवन से जुड़े मूल्य महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास समाज के अंदर होता है, परन्तु इसके निर्धारण और विकास में शिक्षा की महती भूमिका होती है। मूल्य आधारित शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को निर्देशित करते हुए जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम होता है।

शिक्षा समाज रूपी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। जीवन की सफलता का आधार वास्तव में शिक्षा में निहित है। शिक्षा की यह प्रक्रिया मनुष्य के जन्म से प्रारम्भ होकर मृत्युपर्यन्त लगातार किसी न किसी रूप में सदैव चलती रहती है। उचित शिक्षा से ही समाज सशक्त बनता है तथा राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुँचता है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज अपनी भावी पीढ़ी को उच्च आदर्शों, अभीष्ट आशाओं, सनातन मूल्यों तथा प्राचीन परम्पराओं से युक्त अपनी सांस्कृतिक धरोहर को हस्तांतरित करता है। स्पष्ट है कि शिक्षा सतत् रूप से चलने वाली एक ऐसी गत्यात्मक प्रक्रिया है जो मानव को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से अदा करने में सक्षम बनाती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन करती है।

आज के बदलते परिवेश में जहाँ एक ओर तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व हस्तांतरण पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भौतिकता के आवरण में हम अपने आदर्शों और मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है। हम भौतिकवादी से अतिभौतिकवादी होते जा रहे हैं और यही कारण है कि विफलताएँ हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। आए दिन समाचार पत्रों में शोषण, बलात्कार, भ्रष्टाचार, हत्या, साइबर क्राइम, आतंकवाद इत्यादि की खबरें इसी ओर संकेत करती है कि आज मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को खोता जा रहा है।

नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के पवित्र स्रोत जो हमारी सनातनी संस्कृति को ऐतिहासिक संकट की अग्नि वर्षा में भी हरा-भरा बनाये रखे थे; अब भौतिकता की आँच में सूखते जा रहे हैं। परस्पर स्नेह, सहयोग, एकता, त्याग, सहनशीलता, धैर्य और साहस जैसे सद्गुणों के ताने-बाने से बुना हमारा सामाजिक जीवन ईर्ष्या, द्वेष, कलह, घृणा, स्वार्थ और लोभ जैसी दुर्भावनाओं से दिन-प्रतिदिन विषाक्त होता जा रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास हमारे सामाजिक जीवन को मूल्यहीन बनाता जा रहा है। आज हम जिस स्थिति तक पहुँच गए हैं, उसके लिए हमारी सतही मानसिकता ही उत्तरदायी है, जो पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध की ओर हमारे झुकाव के कारण पैदा हुई है।

मूल्य विहीन शिक्षा पर्यावरण प्रदूषण का भी कारण बनती है। अर्थव्यवस्था को गति देने के क्रम में मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का तर्कसंगत दोहन नहीं किया। बढ़ते तकनीकी विकास, प्लास्टिक उपयोग व विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चलते पृथ्वी इस तरह दूषित हो गयी है कि अब मानव अस्तित्व पर ही संकट बन आया है। कोरोना महामारी भी इसी की परिणति है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वर्तमान समय में मानव ही मानव का दुश्मन बन गया है और वह अर्जित ज्ञान का प्रयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही कर रहा है। इस कष्टपूर्ण स्थिति से उभरने के लिए हमें अपनी स्वस्थ प्राचीन मान्यताओं के स्रोत से पुनः जुड़ना होगा।

उपयोगी शिक्षा प्रणाली ही किसी समाज एवं राष्ट्र की खुशहाली तथा प्रगति का मूल साधन होती है। हम अपने प्राचीन साहित्य एवं शिक्षा-दर्शनों से जितने दूर हो गए हैं, हमारी शिक्षा भी उतनी ही अर्थहीन एवं मूल्यहीन हो गयी है। ऐसी परिस्थिति में आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा को मूल्य परक बनाया जाये। मूल्य परक शिक्षा ही आज की विसंगितयों तथा विकृतियों का निराकरण कर धर्म-निरपेक्षता, सामाजिक-चेतना, विश्व-शांति और व्यक्ति की गरिमा को गौरवान्वित कर सकती है। यह मानवीय चेतना को जाग्रत कर परस्पर सद्भावना का विकास करने में समर्थ है, जिससे सभी समस्याओं का समाधान सम्भव है।

मूल्यपरक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य बिन्दु होना चाहिए। यह केवल विद्यालयी छात्रों के लिए ही नहीं अपितु अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, अभिभावकों और सम्पूर्ण समाज के लिए भी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियाँ ऐसी हो, जिससे उचित जीवन मूल्यों का विकास सहज रूप में हो सके। जैसा कि डॉ. राधाकृष्णन ने कहा है कि 'मानव जीवन में सुख प्राप्ति का आधार मानवीय मूल्यों का विकास है और मूल्य परक शिक्षा इसमें समर्थ है।' किन्तु हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली मानवीय मूल्य और नैतिक चरित्र कायम करने में कहीं न कहीं नाकाम रही है। यही वजह है कि शिक्षितों के तबके में मानवीयता, संवदेना, विश्वास, सम्मान आदि नैतिक तत्वों का अभाव परिलक्षित हो रहा है।

अतः यदि हम जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ-साथ चारित्रिक प्रगति तथा आध्यात्मिक उत्थान पर भी बल देना चाहिए। आज मनुष्यों में व्याप्त अनुशासनहीनता, निराशा एवं हतोत्साह का प्रमुख कारण मानसिक एवं चारित्रिक अनुशासन का अभाव है। अतएव मानव जीवन में प्रारम्भ से ही चरित्र निर्माण एवं देशभक्ति की भावना जाग्रत करने के लिए उनमें दृढ़ संस्कारों का निर्माण करने के लिए नैतिक शिक्षा देना अति आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना असंभव है।

SECTION-B (अंक-50)

प्रश्न-4 : Progress of India in the Space World.
अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति।

उत्तर- 4 अक्टूबर, 1957 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में 'स्पुतनिक' नामक अंतरिक्ष यान भेजकर अंतरिक्ष में छिपे रहस्यों को जानने की पहल की गयी। इस अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ ही विश्व में अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो गयी, जो दिन–प्रतिदिन प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ ही विकास की आधुनिक उन्नत अवस्था तक पहुँच गयी। विश्व के अंतरिक्ष अभियान प्रारम्भ होने के मात्र पाँच साल बाद 1962 ई. में भारत में भी अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरूआत हुयी।

भारत आज अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में अपना विशेष स्थान रखता है। वह अपने विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बल पर शिक्षा, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में विशेष प्रगति एवं सुविधाएँ हासिल कर चुका है। चन्द्रमा का विशेष अध्ययन करने के लिए भारत ने चन्द्रयानों की एक श्रृंखला का भी प्रक्षेपण किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान की इस प्रगति में महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई का सर्वाधिक योगदान रहा है। डॉ. साराभाई ने ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। सन् 1962 में डॉ. साराभाई को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी सौंपी गयी।

19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ ही भारत अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गया। बीसवीं सदी का यह दशक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रयोग का युग था। इस दौरान भास्कर, रोहिणी एवं एप्पल जैसे कई उपग्रह छोड़े गए। इसके बाद अस्सी के दशक में इनसेट एवं आई.आर.एस. जैसे उपग्रह कार्यक्रम प्रारम्भ हुए। इनसेट के प्रथम पीढ़ी के उपग्रहों का निर्माण विदेशी तकनीक की सहायता से किया गया था, किन्तु इसके द्वितीय पीढ़ी के उपग्रहों को पूर्णत: स्वदेशी तकनीक द्वारा देश में ही विकसित किया गया।

इनसेट उपग्रह प्रणाली एक बहुउद्देश्यीय उपग्रह प्रणाली है। यह अंतरिक्ष विभाग, दूर संचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन का संयुक्त उद्यम है। इसलिए यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक महत्त्वपूर्ण दूर संचार क्षेत्रों में सेवाएँ उपलब्ध कराती है। इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, जो इनसेट मोबाइल उपग्रह सेवा के साथ–साथ वी–सेट सेवाएँ भी देता है। आज देशभर में लगभग पच्चीस हजार से भी अधिक अत्यधिक लघु एपर्चर टर्मिनल काम कर रहे हैं। इनसे टेलीविजन प्रसारण एवं पुनर्वितरण को काफी लाभ हुआ है। शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष उपग्रह एडुसेट (एजुकेशन थ्रू–सेटेलाइट) का भी प्रक्षेपण किया गया है।

भारत ने सुदूर संवेदी उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया है, जिनका उपयोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। भविष्य में इसरो द्वारा ऐसे अंतरिक्ष यान छोड़े जाने की योजना है, जिनसे बेहतर रिजोल्यूशन वाले चित्र, दिन में ही नहीं, बल्कि रात में भी प्राप्त किया जा सकता है। 5 मई 2005 को प्रक्षेपित कार्टोसेट–1 उपग्रह स्टीरियों तस्वीरे लेने में सक्षम है। भारतीय प्रक्षेपण यान कार्यक्रम ने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की। पी.एस.एल.वी. की सफलता के बाद जी.एस.एल.वी. को प्रक्षेपित करने में भी भारतीय वैज्ञानिकों को सफलता प्राप्त हुयी।

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा आई.आर.एस. उपग्रहों द्वारा प्रेषित चित्रों का उपयोग कृषि क्षेत्र में कई तरह से किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन चित्रों का उपयोग जल के श्रेष्ठतम उपयोग हेतु भू–जल एवं सतह पर उपलब्ध जल के संचयन एवं तालाबों तथा सिंचाई कमान क्षेत्रों की निगरानी हेतु भी किया जाता है। वन सर्वेक्षण, बंजर भूमि पहचान तथा उसे पुन: उपज योग्य बनाने का कार्य भी इन चित्रों के माध्यम से किया जाता है इसके अतिरिक्त आई.आर.एस. चित्रों का उपयोग खनिजों के अन्वेषण एवं सम्भावित मत्स्य क्षेत्रों की भविष्यवाणी हेतु भी किया जाता है। इन लाभों के अतिरिक्त भी अंतरिक्ष अनुसंधान से भारत को कई और लाभ हुए हैं। विभिन्न अंतरिक्ष यानों द्वारा चन्द्रमा की सतह के सम्बन्ध में किये गए अध्ययनों से चन्द्रमा की भौगोलिक संरचना एवं उसमें उपस्थित पदार्थों के सम्बन्ध में अनेक बातों का पता चला है। मंगल, शुक्र एवं अन्य ग्रहों के रहस्यों को जानने के लिए भेजे गए यानों से इन ग्रहों के सम्बन्ध में भी कई बातों का पता चला है।

इस तरह विकासशील अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी अनेक समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से विकसित किया है और उसे अपने तीव्र विकास के लिए इस्तेमाल भी किया है। इसके अतिरिक्त इसरो आज विश्व के अन्य अनेक देशों को भी इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित अनेक प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहा है। आशा है आने वाले वर्षों में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नयी उपलब्धियाँ हासिल करने में और अधिक सफल होगा।

प्रश्न-5 : Mahatma Gandhi is still relevant today.
महात्मा गाँधी आज भी प्रासंगिक हैं।

उत्तर- वर्तमान अस्थिरता के दौर में समाज में कल्याणकारी आदर्शों का स्थान असत्य, अवसरवाद, चालाकी, धोखा, लालच व स्वार्थपरता जैसे अमानवीय और संकीर्ण विचारों ने ले लिया है, जिसके परिणामस्वरूप समाज सहिष्णुता, प्रेम, मानवता, भाईचारे, नैतिकता जैसे उच्च आदर्शों को विस्मृत करता जा रहा है। विश्व शक्तियाँ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। कई देश ऐसे अस्त्र-शस्त्र लिए बैठे हैं, जिनसे एक बार में ही सम्पूर्ण मानव जाति को ही समाप्त किया जा सकता है। ऐसे में विश्व शांति की पुनर्स्थापना के लिए, मानवीय मूल्यों को पुनःप्रतिस्थापित करने के लिए वर्तमान समय में गाँधीवाद पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देता है।

गाँधीवाद के अंतर्गत किसी भी शोषण का अंहिसक प्रतिरोध करना, स्वहित के स्थान पर परहित की भावना, सत्य का आचरण, त्याग की भावना, स्व के स्थान पर देश और समाज की चिंता करना, प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा की भावना इत्यादि को समाहित किया जाता है। महात्मा गाँधी ने कहा था कि, 'मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा ईश्वर है और अहिंसा उसे पाने का साधन।' यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। गाँधीवाद भटके लोगों को रास्ता दिखाने का काम आज भी कर रहा है। वर्तमान अस्थिरता के दौर में गाँधीवादी मूल्य एक प्रभावी विकल्प के रूप में दिखायी देते हैं।

गाँधीजी का धर्म और नैतिकता में अमिट विश्वास था। उनके अनुसार धर्म प्रथाओं और आडम्बरों की सीमा में बँधा होने के बजाए आचरण का एक तरीका है। उनके अनुसार धर्म व राजनीति का सह-अस्तित्व ही बेहतर समाज की नींव तैयार करता है, धर्म-विहीन राजनीति मृत्युजाल के समान है। आज जब नैतिक सिद्धांत राजनीति से लगभग गायब हो गए हैं, तब गाँधीवादी मूल्य एक प्रभावी विकल्प के रूप में दिखाई देते हैं। गाँधीजी साधन और साध्य दोनों की शुद्धता पर बल देते थे। उनके अनुसार शुद्ध साधन से ही शुद्ध साध्य की प्राप्ति सम्भव है, अशुद्ध अथवा अशुभ साधन कभी भी शुद्ध/शुभ साध्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता है।

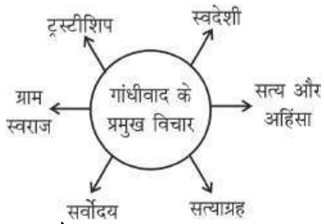

गाँधीवाद में सत्य और अहिंसा मजबूत आधार स्तम्भ के रूप में व्याप्त है। गाँधीजी सत्य के बड़े आग्रही थे। वे वचन और चिंतन में सत्य की स्थापना का प्रयत्न करते थे। गाँधीजी के विचारों का मूल लक्ष्य सत्य और अहिंसा से विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना है। अहिंसा का अर्थ ही होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गाँधीजी के विचार व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक स्तर पर 'मनसा, वाचा, कर्मणा' सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का पालन करने पर बल देते हैं। आज के संघर्षरत विश्व में सत्य और अहिंसा जैसा आदर्श अति आवश्यक है। यदि इस सिद्धांत का पालन किया जाए तो आज क्षुद्र राजनीतिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्याकुल समाज अपनी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। वर्तमान समय में अहिंसा जैसे सिद्धांतों का पालन करते हुए विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है, जिसकी आज पूरे विश्व को आवश्यकता है।

सत्याग्रह की अवधारणा उपनिषद्, बुद्ध-महावीर की शिक्षाओं, टॉलस्टॉय और रस्किन के साहित्य सहित कई अन्य दर्शनों में मिलती है। गाँधीजी का मत था कि निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी पिघलाया जा सकता है। आज के समय में सत्याग्रह का प्रयोग विभिन्न स्थानों और परिस्थितियों में तार्किक एवं सुसंगत प्रतीत होता है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नीतियों, आदेशों से मतभेद की स्थिति में सत्याग्रह का प्रयोग कहीं श्रेयस्कर है। आत्मबल को शारीरिक बल से अधिक श्रेष्ठता प्रदान की जाती है। बुराई के प्रतिकार के लिए यदि आत्मबल का सहारा लिया जाए तो मौजूदा परेशानियाँ दूर की जा सकती हैं।

सर्वोदय शब्द गाँधीजी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है, जिसमें सुकरात की सत्य साधना, रस्किन की अन्त्योदय की अवधारणा और 'सर्वभूतहितं रताः' की भारतीय कल्पना सब कुछ समाहित है। सर्वोदय के माध्यम से गाँधीजी ऐसे वर्गहीन, जातिहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समाज को अपने सर्वांगीण विकास के लिए साधन और अवसर प्राप्त हो। वर्तमान समय में पूरा विश्व एक ऐसे ही समाज की खोज में है, जहाँ शोषण, वर्ग, जाति इत्यादि की कोई जगह न हो। आज चारों तरफ आतंक और अराजकता का माहौल व्याप्त है। एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है, जिससे समाज में अव्यवस्था फैल रही है। यदि गांधी जी के सर्वोदय की संकल्पना साकार होती है, तो 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा मूर्त रूप ले सकेगी, जहाँ सभी के उत्थान का मार्ग प्रशस्त होगा।

गाँधीवाद केवल दर्शन अथवा अध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण का भी समाहार है। वे दोनों क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण के प्रबल पक्षधर थे। स्वायत्त व आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों की स्थापना के माध्यम से गाँधीजी ग्रामीण समाज के अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति तक शासन की पहुँच सुनिश्चित करना चाहते थे। आर्थिक मामलों में भी गाँधीजी विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल देते थे। उनका मत था कि भारी उद्योगों की स्थापना पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी के दौर में कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना श्रमिकों के लिए आशा की किरण साबित हुआ है।

ट्रस्टीशिप एक सामाजिक-आर्थिक दर्शन है, जिसे गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह अमीर वर्ग को ऐसा माध्यम प्रदान करता है, जिसके द्वारा वे गरीब तथा असहाय लोगों की मदद कर सकें। वे न तो पूँजी के केन्द्रीकरण के पक्षधर थे और न ही वे अमीरों की पूँजी गरीबों में बाँट देने की बात करते थे। उनके अनुसार उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की स्थापना हेतु एक न्यास जैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में गाँधी जी की यह विचारधारा काफी प्रासंगिक है, जब विश्व में गरीबी और भुखमरी चारों तरफ अपना साया फैलाये खड़ी है। गाँधी जी शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन व जीविका कमाने का कार्य एक साथ करने पर बल देते थे। आज जब बेरोजगारी देश में एक बड़ी समस्या है, तब गाँधी जी के विचारों के अनुरूप शिक्षा-नीतियाँ बनाना काफी लाभप्रद होगा।

निष्कर्षतः गाँधीजी के विचार कभी भी पुराने नहीं पड़ सकते। गाँधीवाद वर्तमान अस्थिर और अमानवीय सामाजिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है। गाँधीवाद का प्रचार और अभ्यास ही हमारी सभ्यता को बुराइयों से मुक्त कर सकता है। गाँधीवाद की प्रासंगिकता को समझते हुए हमारे देश के संविधान में भी उनके कई विचारों को स्थान दिया गया है। विश्व की समस्याओं को खोजने की राह और विश्व-शांति की स्थापना का मार्ग गांधीवाद से ही होकर गुजरता है।

प्रश्न-6 : Green Revolution is essential for life.

हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक है।

उत्तर- अनादि काल से जीव–जगत का पालन करने वाली धरती जब उसमें निवास करने वाले जीव–जन्तुओं का पालन–पोषण करने में अक्षम हो गयी तो इन्हीं कमियों को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने नवीन खोज से हरित क्रान्ति को जन्म दिया। जिसके द्वारा जनसंख्या दबाव की पूर्ति, अधिशेष उत्पादन का भण्डार, अत्यधिक रासायनिक खाद का प्रयोग, कीटनाशकों का उपयोग, भूमि का अत्यधिक उपयोग आदि को प्राथमिकता दी गयी। इस नवीन क्रांति से अत्यधिक उत्पादन से जीव–जन्तुओं तथा मनुष्य को भर–पेट भोजन तो प्राप्त होने लगा परन्तु इसने अपने साथ नयी–नयी समस्याओं को जन्म दिया। यदि मनुष्य अपने ज्ञान तथा नवीन खोज से इन समस्याओं का अंत कर दे तो आज भी हरित क्रांति की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता है।

हरित क्रांति दो शब्दों का मेल है जहाँ हरित से आशय कृषि से तथा क्रांति का अर्थ बदलाव से है अर्थात् कृषि क्षेत्र में अमूल–चूल परिवर्तन से है। हरित क्रांति के जन्मदाता महान वैज्ञानिक नार्मन बोरलाग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृषि अनुसंधान तथा नयी खोज में बिता दिया। नार्मन बोरलाग ने ही सर्वप्रथम इस बात को संज्ञान में लिया कि किस प्रकार मनुष्य की भूख को समाप्त किया जाये। इस समस्या की पूर्ण समाप्ति के लिए उन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया।

हरित क्रांति के अंतर्गत रासायनिकों का अत्यधिक प्रयोग, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों के प्रयोग, नवीन कृषि यंत्रों का उपयोग, सिंचाई साधनों का विकास तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम आदि खादों का प्रयोग से इस क्रांति का प्रारम्भ किया गया। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। हरितक्रान्ति विश्व के लगभग सभी देशों को आत्मनिर्भरता प्राप्त हुयी, परन्तु हरित क्रांति के विकास क्रम में यह देखा गया कि इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र का पूर्ण विकास नहीं हो पाया अतः प्रथम हरित क्रांति की कमी को समाप्त करने की माँग हो रही है।

भारतीय क्षेत्र में यदि हरित क्रांति की बात करे तो इसका प्रारम्भ 70 के दशक में प्राप्त हुआ। भारत में हरित क्रांति को मूर्त रूप प्रो. स्वामीनाथन ने दिया। भारतीय क्षेत्र में हरित क्रांति से सर्वाधिक धनात्मक परिणाम पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ जिसके परिणामस्वरूप गेहूँ तथा चावल के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। इसके साथ ही साथ अन्य उत्पादनों में भी विकास देखा गया। हरित क्रांति के ही परिणामस्वरूप भारत ने खाद्यान्न में आत्म–निर्भरता को प्राप्त किया। आज भारत विश्व के अन्य देशों में अनाज का निर्यात कर रहा है।

हरित क्रांति को मानव जाति के लिये एक वरदान के रूप में देखा गया। परन्तु हरित क्रांति के कारण नयी–नयी समस्याओं का जन्म हुआ जैसे– पर्यावरण प्रदूषण, भूमि तथा पानी में कीटनाशकों की वृद्धि, भूमि की उत्पादन क्षमता का स्थिर हो जाना, नयी–नयी बीमारियों का जन्म, भूमि में नये–नये खरपतवार का विकास आदि। अतः वर्तमान समय में यह कहा जाने लगा है कि हरित क्रान्ति मानवता के लिए अभिशाप है।

इन सभी समस्याओं को उचित प्रबन्धन, नयी खोज आदि से कुछ सीमा तक समाप्त किया जा सकता है। जैसे– जैविक कृषि को प्रोत्साहन, नवीन सिंचाई प्रणाली का विकास, उचित कीटनाशकों का प्रयोग तथा नयी–नयी खोजों से पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी का विकास करना आदि।

उपर्युक्त विवेचन के आधार यह कहा जा सकता है कि हरितक्रांति आज की आवश्यकता बन गयी है। क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या का भरण पोषण परम्परागत कृषि से सम्भव नहीं है, अतः वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यदि हरित क्रांति तथा परम्परागत क्रांति को संयुक्त कर दिया जाये तो परिणाम अत्यधिक अच्छे होंगे साथ ही साथ सतत् पोषणीय तथा समावेशी विकास को नयी ऊर्जा प्राप्त होगी जो पर्यावरण के लिए भी शुभ संकेत है।

SECTION-C (अंक-50)

प्रश्न-7 : The problem of Global Terrorism: causes and remedies.

वैश्विक आतंकवाद की समस्या : कारण और निदान।

उत्तर- महाशक्तिशाली अमेरिका हो या नाटो की जन्मस्थली ब्रुसेल्स हो, पेरिस में हो, या शान्ति का दूत भारत हो या फिर आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान ही क्यों न हो सब आतंकवाद के आतंक से आतंकित हैं। दुनिया किंकर्त्तव्यविमूढ़ है क्योंकि जितनी शक्तिशाली वह है उतनी कभी नहीं थी लेकिन जितना वह विवश है, उतना विवश भी कभी नहीं थी। क्योंकि उसके पास नाभिकीय बम तो है लेकिन वह उससे मानव को समाप्त नहीं कर सकती। हिंसा के द्वारा जनमानस में भय या आंतक पैदा कर अपने उद्देश्यों को पूरा करना ही आतंकवाद है। यह उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक ही नहीं सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है।

वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार हैं किन्तु इनमें से तीन ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया त्रस्त है– राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता एवं गैर राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद। श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफगानिस्तान में तालिबानी संगठनों की गतिविधियाँ राजनीतिक आतंकवाद के उदाहरण हैं। अल–कायदा, लश्कर–ए–तैयबा, जैश–ए-मोहम्मद जैसे संगठन धार्मिक कट्टरता की भावना से आतंकी कृत्यों को अंजाम देते हैं, अतः ऐसे आतंकवाद को धार्मिक कट्टरता की श्रेणी में रखा जाता है। अपनी सामाजिक स्थिति या अन्य कारणों से उत्पन्न सामाजिक क्रान्तिकारी विद्रोह को गैर–राजनीतिक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में नक्सलवाद गैर–राजनीतिक आतंकवाद का उदाहरण है।

कुल मिलाकर आतंकवाद का न तो निश्चित उद्देश्य है न ही निश्चित स्वरूप इसलिए इसे परिभाषित करना मुश्किल है। यदि हम इसे परिभाषित ही करना चाहें तो कह सकते हैं कि ''आतंक का, आतंक 'के लिए' आतंक'' के द्वारा ही आतंकवाद है। इस तरह आतंकवाद का उद्देश्य दुनिया में दहशत फैलाना मात्र है। आज के आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है।

आज विश्व के लगभग सभी बुद्धजीवियों के मध्य यह बहस का प्रमुख विषय है कि आंतकवाद के क्या कारण हैं और ये किन परिस्थिति में अधिक प्रसारित होता है। जिसमें सामाजिक, आर्थिक विषमता, अतिवादी महत्वाकांक्षा, भय, भूख, भ्रष्टाचार के चलते युवाओं में आक्रोश, शासक वर्ग की संवेदनशीलता, बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार, सांस्कृतिक असुरक्षा, धार्मिक कट्टरतावाद, पिछड़ेपन के कारण इस्लामिक दुनिया में कुण्ठा तथा विचारधारात्मक टकराव आदि प्रमुख कारण हैं।

अमेरिका के 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' पर हुए हमले के बाद ही वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध चिन्तन की अभिव्यक्ति प्रारम्भ हुयी। यहीं से आतंकवाद के उन्मूलन के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास किये जाने लगे जैसे– अमेरिका के नेतृत्व में तालिबान की जन्मस्थली अफगानिस्तान पर हमला बोला गया। आतंकवाद के सरगना ओसामा को मारकर अमेरिका ने अपनी पीठ थपथपायी, लेकिन ओसामा की चिता की आग ठण्डी नहीं हुयी थी कि बगदादी भस्मासुर के रूप में पैदा हो गया। बगदादी अपने संगठन इस्लामिक स्टेट के माध्यम से पूरी दुनिया में इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहता था। इस क्रम में उसने ईराक और सीरिया के बड़े भू–भाग पर कब्जा तो कर ही लिया।

फ्रांस में हुए हमले के बाद सितम्बर 2015 से बगदादी के विरूद्ध वैश्विक स्तर पर एक सामूहिक गठबन्धन बनाने की कयावद शुरू हुयी। रूस, फ्रांस और अमेरिका की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट को नेस्तनाबूत करने के लिए ताबड़तोड़ कार्यवाहियाँ की। इसके अलावा UNO ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई प्रस्ताव और अभिसमय पारित किए। जैसे आतंकवादी संगठनों को सील करना उनकी फंडिंग को प्रतिबन्धित करना, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देशों के विरूद्ध सुरक्षा परिषद की कार्यवाही करने का अधिकार देना।

आतंकवाद से निपटने के लिए कई स्तरों पर प्रयास करना होगा, जैसे–

- प्रथम स्तर पर आंतकवाद के पनपने के मूलभूत कारणों की पहचान करनी होगी। इन कारणों को न्यूनतम करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करना होगा। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करके भय, भूख, भ्रष्टाचार को समाप्त करना।
- दूसरे स्तर पर आतंकवाद के प्रति स्पष्ट विजन विकसित करना होगा। साथ ही साथ दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुये इसके विनाश के लिए प्रयत्न करना होगा। इस क्रम में अपने संकीर्ण हितों को किनारे रखते हुए वैश्विक प्रयासों के साथ सहयोग करना होगा।
- तीसरे स्तर पर आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करना होगा। प्रत्यर्पण संधियों का विस्तार करना होगा।
- उन लोगों और देशों को दण्डित करना होगा जो लोग आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं और उन्हें संरक्षण देते हैं।
- सुरक्षा बलों का अत्याधुनिकीकरण और खुफिया एजेंसियों को चुस्त–दुरूस्त बनाना होगा।
- जिन अल्पविकसित देशों में आतंकवाद की नर्सरी पनप रही है उन देशों मे विकास की गंगा बहाना होगा।
- अमेरिका जैसी महाशक्तियों को आतंकवाद पर दोहरा मापदण्ड त्यागना होगा।

उपर्युक्त बातों को संज्ञान में लेते हुए ही आतंकवाद के विरूद्ध कोई सामूहिक स्ट्रेटजी बनानी होगी। इसके विरूद्ध भेदभाव रहित एक सामूहिक अभियान चलाना होगा। जिस दिन यह अभियान न्याय और नैतिकता की ताकत पा लेगा उस दिन से आतंकवादियों के लिए आतंक फैलाना आसान नहीं होगा।

हमे यह बात शिद्दत से महसूस होना चाहिए कि ओसामा या बगदादी को मार देने से आतंकवाद समाप्त होने वाला नहीं है। आतंकवाद के पौधे को गरीबी और बेरोजगारी के रूप में जो खाद–पानी मिल रहा है उसे समाप्त करना है। इसके लिए गरीब मुल्कों में विकास और लोकतंत्र की धारा प्रवाहित करके वहाँ जन्म ले रहे मानव बम को आर्थिक मानव में रूपान्तरित करना होगा।

प्रश्न-8 : The Foreign Policy of India is based upon the principle of peace and Equality.

भारत की विदेश नीति शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित है।

उत्तर- किसी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों का समुच्चय होती है। न तो किसी देश की परिस्थिति एवं न ही दुनिया की परिस्थिति सदैव एक समान रहती है, इसलिए बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से समयानुसार किसी देश की विदेश नीति में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति का मूल अंतर्राष्ट्रीय शान्ति, उपनिवेशवाद का विरोध, पंचशील सिद्धांतों का प्रसार, मानवता का प्रसार, जीव–जन्तु तथा पर्यावरण को संरक्षण आदि था जिसके माध्यम से विश्व शान्ति एवं स्थिरता को पूर्ण किया जा सके।

स्वतंत्रता के बाद पं. नेहरू ने विश्व शान्ति एवं समानता को प्रमुखता देते हुये 'पंचशील सिद्धांत' का प्रतिपादन किया। भारत ने अपने देश की आवश्यकताओं तथा विदेशों की सहायता को पूर्ण करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया। जिसके परिणाम बहुत अच्छे भी रहे परन्तु चीन के विस्तारवादी नीति से पंचशील सिद्धांत की आत्मा पर प्रहार करते हुये 1962 में भारत पर आक्रमण करके इसके एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया गया।

नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी के लगभग डेढ़ वर्ष के छोटे से कार्यकाल में भारत की विदेश नीति यथार्थवादी सिद्ध हुयी। इस दौरान भारत के सम्बन्ध एशियाई देशें से बेहतर तो हुए साथ ही सोवियत संघ भी भारत के मित्रराष्ट्र के तौर पर उभरा। जब पाकिस्तान ने सन् 1965 में भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की हिमाकत की तो शास्त्री जी ने इसका मुँहतोड़ जवाब दिया।

इंदिरा जी के काल में भारतीय विदेश नीति में बहुत परिवर्तन हुये। इनके कार्यकाल में भारत ने विश्व शान्ति को प्रमुखता देते हुये परमाणु शान्ति का प्रसार किया, जिसका उद्देश्य विश्व में ऊर्जा की पूर्ति था। बाद में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विदेश नीति के ज्ञाता अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री नियुक्त किया। वाजपेयी ने भारत की मूलभूत विदेश नीतियों में कोई परितर्वन तो नहीं किया, किन्तु किसी भी देश के सम्बन्ध के लिए राष्ट्रीय सहमति पर अवश्य जोर दिया।

इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद जब राजीव गाँधी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने विदेश नीति को आधुनिक दशा एवं दिशा देने का प्रयास किया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बेहतर करने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में चालीस से अधिक देशों की यात्रा की। पड़ोसी देश श्रीलंका में कई वर्षों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन्होंने विशेष विशेष प्रयास किया।

वर्ष 1991 के परिवर्तन के परिणामस्वरूप भारतीय सरकार ने वैश्वीकरण को अपनाकर पूँजीवादी विचार धारा का प्रयास किया, जो बदलते विश्व की माँग भी थी। 20वें दशक में शीत युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तथा विश्व में नये संकट पर्यावरण संकट, ग्रीन हाउस गैसों का प्रसार, आतंकवाद, परमाणु संकट आदि से निपटने की प्राथमिकता भारतीय विदेश नीति में दी गयी है। जिससे इस वैश्विक समस्या का समाधान किया जा सके।

आतंकवाद आज विश्व शान्ति एवं सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा संकट है अतः सरकार किसी भी प्रकार के आतंकवादी कार्यों को सहयोग करने वाले देशों से सम्बन्ध नहीं रखेगा। आज सम्पूर्ण विश्व में करोना महामारी एक समस्या है जो लगभग 3 लाख लोगों की जान

ले चुका है तथा भारत सरकार विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिये इस प्रकार की संक्रामक बीमारी के उपचार, अनुसंधान के लिये सहायता एवं सहयोग प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

भारत को वैश्विक परिदृश्य एवं अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए बार–बार अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़ा है वर्तमान समय में यह विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट इत्यादि वैश्विक समस्याओं से निपटने में इसकी भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी। ऐसी स्थिति में इसे विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। प्राचीन काल से भारत का सिद्धांत 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का रहा है। इसी सिद्धांत पर अमल करते हुये विश्व शान्ति के लिए भी इसे विशेष प्रयास करने होंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इसकी भूमिका के अनुरूप सम्भव है कि इसे फिर अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़े, जो बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप समय की आवश्यकता होगी।

प्रश्न-9 : The Border Security Forces are the main factor of our National sovereignty.

सीमा सुरक्षा बल हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के मुख्य कारक हैं।

उत्तर- *''सम्प्रभुता किसी राष्ट्र की इच्छा है।''*–विलोवी

सम्प्रभुता किसी राष्ट्र की आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा विहीन शरीर को मृत माना जाता है।, उसी प्रकार से सम्प्रभुता रहित राष्ट्र का कोई महत्त्व नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि चाहे राजतंत्र का युग रहा हो या प्रजातंत्र का राज्यों ने अपनी सम्प्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है और ऐसा नेता या शासक सदैव जनमानस में बसे रहे। इसमें चर्चिल, टीपू सुल्तान, महाराणा प्रताप, इन्दिरा गाँधी को कौन भूल सकता है।

आखिर क्यों सम्प्रभुता इतनी महत्त्वपूर्ण है? ऐसा क्या है इसमें जो कोई राष्ट्र इसको सर्वोच्च मानता है? क्या वर्तमान समय, जब राष्ट्रीय हित एक-दूसरे से जुड़े हों तो सम्प्रभुता कितनी वास्तविक है?

सम्प्रभुता का तात्पर्य है– किसी देश द्वारा किसी विषय पर बिना किसी बाह्य दबाव के अपने हितों के अनुरूप निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इससे हम समझ सकते हैं कि क्यों राष्ट्र सम्प्रभुता को इतना महत्त्व देते हैं। सम्प्रभुता रहित राष्ट्र एक गुलाम के समान है जो अपने मालिक की आज्ञा का मोहताज है। यह सही है कि आज राष्ट्र अनेक अंतर्राष्ट्रीय शर्तों से बंधे हैं। किन्तु यह बाध्यता उन्होंने स्वतंत्रतापूर्वक चुनी है तथा अपनी इच्छानुसार वे इससे मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए वर्तमान युग में सम्प्रभुता उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी वैश्वीकरण के पहले थी।

इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र अपनी इस स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर बनाये रखना चाहता है। इस स्वतंत्रा को बनाये रखने हेतु राष्ट्र आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक एवं कूटनीतिक शक्ति अर्जित करने का प्रयास करते हैं। इनमें भी राष्ट्र की सम्प्रभुता का उसकी सैनिक शक्ति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। इसीलिए राष्ट्र कवि 'दिनकर' ने लिखा है–

सच पूछो तो शर में ही
बसती है दीप्ति विनय की,
सन्धि–वचन संपूज्य उसी का
जिसमें शक्ति विजय की।

सन् 1962 में चीन के हाथों पराजय के बाद भारत को भी सैनिक शक्ति की महत्ता का वास्तविक बोध हो गया। इसके बाद सरकार द्वारा सैन्य सशक्तीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की गयी। इसी क्रम में सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष बलों का गठन किया गया। इसमें प्रमुख है– बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., सीमा सुरक्षा बल तथा असम रायफल्स। इन अर्द्ध सैनिक बलों को शांति काल में सीमाओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया। भारत की लगभग 15000 किमी लम्बी सीमाओं की निगरानी का जिम्मा इन्हीं बलों पर है।

ये बल भारत के सुरक्षा–चक्र की प्रथम पंक्ति का निर्माण करते हैं। थार के रेगिस्तान हो, सरक्रीक का नमकीना दलदल, कश्मीर की सबसे हिंसक सीमा, चीन से सटे पर्वत व पहाड़ या फिर नेपाल से लगी खुली सीमाओं में, इन सब पर हमारे सीमा सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं।

देश की मुख्य सेना को तो केवल युद्ध काल में दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, किन्तु हमारे सीमा सुरक्षा बलों को प्रतिदिन दुश्मनों से दो–चार होना पड़ता है, फिर ये दुश्मन आतंकी के वेश में हो या तस्करों के रूप में।

ये बल न सिर्फ सीमाओं की रखवाली करते हैं बल्कि आतंकियों व अलगाववादी समूहों के विरूद्ध अभियानों को भी अंजाम देते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध की स्थिति में ये न सिर्फ आरम्भिक चरण के दुश्मन को रोकते हैं, बल्कि उसके बाद भी सेना के साथ कन्धे–से–कन्धा मिलाकर लड़ते हैं।

भारत तस्करी के लिए बदनाम 'गोल्डेन ड्रैगन व गोल्डेन क्रसेंट' के बीच है। ऐसी स्थिति में देश के लोगों, विशेषत: युवा वर्ग को नशे की लत से बचाने में इन बलों की भूमिका अहम् हो जाती है।

भारत दक्षिण एशिया की सबसे प्रमुख शक्ति है परिणामस्वरूप बेहतर भविष्य की चाहत में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। यह समस्या तब और गम्भीर हो जाती है, जब इसका प्रयोग आंतकी गतिविधियों के साथ–साथ अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जाता है। कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक सीमाओं पर शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखने का कठिन कार्य इन्हीं बलों द्वारा पूरी निष्ठा से किया जाता है।

किसी राष्ट्र की सम्प्रभुता उसकी आर्थिक प्रगति पर निर्भर करती है। आर्थिक प्रगति पर निर्भर राष्ट्र कभी अपनी सम्प्रभुता की रक्षा सीमा सुरक्षा बलों के बिना नहीं कर सकता है। सीमा सुरक्षा बल सीमाओं को सुरक्षित कर उस कवच का निर्माण करते हैं, जिसके भीतर शान्तिपूर्ण वातावरण का सृजन होता है और ऐसे ही वातावरण में आर्थिक विकास का वृक्ष फलता–फूलता है।

राष्ट्र की सम्प्रभुता सैनिक शक्ति पर निर्भर करती है और सीमा सुरक्षा बल इसके अहम घटक है। इसीलिए सरकार न सिर्फ इनके लिए विश्वस्तरीय ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है, बल्कि आधुनिक उपकरणों से लैस करने का प्रयास करती है, ताकि ये बल ऊपरी पूरी दक्षता से सीमाओं की सुरक्षा कर सकें।

भारत एक संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। जिससे इन बलों की महत्ता और भी बढ़ जाती है। अत: इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि इन बलों के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ–साथ ट्रेनिंग तथा आपसी समन्वय हेतु एक अत्याधुनिक समन्वय तंत्र विकसित किया जाये। इन बलों की शिकायत है कि उनसे सेना से कमतर व्यवहार किया जाता है। इस शिकायत को दूर करना अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि गिरे हुये मनोबल के साथ सीमाओं की सुरक्षा असम्भव है।

सम्प्रभुता एक अमूर्त अवधारणा है तथा उसको बनाये रखने के साधन भी प्रायः अमूर्त होते हैं, जैसे– आर्थिक विकास, कूटनीति, ईमानदारी, नागरिक आदि। सम्प्रभुता को बनाये रखने के मूर्त साधनों में सबसे प्रमुख है– सैनिक शक्ति। सीमा सुरक्षा बल इसका अहम् घटक है। ये बल दिन–रात लम्बे संघर्ष के बाद प्राप्त इस सम्प्रभुता की रक्षा पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। अतः इसका सम्मान करना राष्ट्र का कर्तव्य है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018

सामान्य अध्ययन : प्रश्न पत्र– I

General Studies : Paper-I

निर्धारित समय : तीन घंटे | **अधिकतम अंक : 200**

Time Allowed : Thee Hours | **Maximum Marks : 200**

Note: (1) There are 20 questions. Section–A consists of 10 short answer questions with word limit of 125 each and Section–B consists of 10 long answer questions with word limit of 200 each. The questions are printed both in Hindi and in English.

नोट : (1) कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खण्ड–अ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द–सीमा 125 तथा खण्ड–ब से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 निर्धारित है। जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

(2) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।/All questions are compulsory.

(3) प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।
The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

(4) प्रश्नों में इंगित शब्द–सीमा को ध्यान में रखें।/Keep the word limit indicated in the question in mind.

(5) उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें।
Any page or portion of the page left blank in the answer booklet must be clearly struck off.

SECTION-A

प्रश्न-1 : Explain the role of Sardar Vallabhbhai Patel in the integration of Princely States of India.

सरदार बल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। (अंक-8)

उत्तर- सरदार बल्लभभाई पटेल देश की आजादी के संघर्ष में जितना योगदान दिये, उससे ज्यादा योगदान उन्होंने स्वतंत्र भारत को एकीकरण करने में दिया। सरदार पटेल नवीन भारत के निर्माता व राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी थे। विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू-राजनैतिक एकीकरण में केन्द्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का 'बिस्मार्क' और 'लौह पुरुष' भी कहा जाता है।

अंतरिम सरकार का गठन 2 सितम्बर, 1946 को हुआ। अंतरिम सरकार में गृहमंत्री सरदार पटेल के निर्देशन में गृह राज्य मंत्रालय की स्थापना की गयी और उन्हें भारत की ओर से देशी नरेशों के साथ बातचीत करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया।

सरदार पटेल ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, आजादी के ठीक पूर्व (संक्रमण काल में) अपने सचिव वी.पी. मेनन के साथ देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरम्भ कर दिया था।

- जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब वहाँ की प्रजा ने विद्रोह किया तो नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। इस प्रकार जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया।
- हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। जब वहाँ के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहाँ सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया।
- 20 अक्टूबर 1947 को जब पाक समर्थित कबिलाइयों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तब तत्कालीन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने घबराकर भारत में विलय की अनुमति दे दी।

निष्कर्ष- उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बिखरे भारत को एकीकृत व वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में सरदार बल्लभभाई पटेल की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।

प्रश्न-2 : Describe the role of Buddhist literature in the creation of world peace.

विश्व शान्ति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। (अंक-8)

उत्तर- विश्व शांति सभी देशों व लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श है। जिसे बौद्ध साहित्य व दर्शन में देखा जाता है।

सादगीपूर्ण जीवन जीने की कला बौद्ध ग्रन्थों में मिलती है। इस धर्म के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ-विनयपिटक, सुत्तपिटक एवं अभिधम्मपिटक में अहिंसा के साथ-साथ शांतिपूर्ण व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है।

गौतम बुद्ध स्वयं बाह्य आडंबर के विरोधी थे। बौद्ध धर्म ने ही सर्वप्रथम भारतीयों को सरल तथा आडंबर रहित धर्म प्रदान किया, जिसका अनुसरण राजा और प्रजा सभी कर सकते थे।

धर्म के क्षेत्र में इसने अहिंसा एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। बौद्ध संघों की व्यवस्था जनतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थी।

पंचशील का सिद्धांत बौद्ध धर्म की ही देन है। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद का उल्लेख मिलता है।

बौद्ध धर्म ने लोगों के जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे जीवन में सदाचार एवं सच्चरित्र का विकास हुआ। सम्राट अशोक, कनिष्क व हर्षवर्द्धन के शासन काल में बौद्ध धर्म का खूब प्रसार हुआ।

सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धम्म प्रचार के लिए भेजा। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में कई वर्षों तक रहा। वापस जाते समय कई बौद्ध ग्रन्थों व बौद्ध प्रतिलिपियों को अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में चीन में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है।

बौद्ध धर्म न केवल भारत अपितु विश्व के देशों को अहिंसा शांति व विश्व-बन्धुत्व का पाठ पढ़ाया। यही कारण है कि भारत का विश्व के देशों पर नैतिक आधिपत्य स्थापित हुआ।

गौतम बुद्ध ने मानव जाति के समक्ष समानता का आदर्श प्रस्तुत किया था।

निष्कर्ष- अतः यह कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने जिन सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रतिपादन किया, वे आज के वैज्ञानिक युग में भी अपनी मान्यता बनाये हुए हैं। संसार के अनेक देश उन्हें कार्यान्वित करके विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान संघर्षशील युग में यदि हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करें तो विश्व में शांति एवं समृद्धि का वातावरण तैयार करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है।

प्रश्न-3 : Mahatma Gandhi represents the middle path approach in Indian Politics. Give logical explanation.

महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम–मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। (अंक-8)

उत्तर-महात्मा गाँधी, जिन्हें लोग बापू कह कर पुकारते थे, भारतीय राजनैतिक मंच पर 1919 से 1947 तक छाए रहे। इस युग को भारतीय राजनीति में 'गाँधी युग' के नाम से जाना जाता है। शान्ति एवं अहिंसा के अग्रदूत महात्मा गाँधी ने लोगों को मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का संदेश दिया।

गाँधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलायी।

सत्य के सच्चे पुजारी के रूप में गाँधी जी को विश्वास था कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है तथा ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। ऐसा माना जाता है कि इनकी सत्य प्रियता हिन्दू धर्म से और अहिंसा, बौद्ध, जैन और ईसाई मत से प्रभावित थी।

गाँधी जी के जीवन पर रॉस्किन की कृति 'अन टू दिस लास्ट' का अधिक प्रभाव था। इनके व्यक्तित्व में अतिवादिता नहीं थी। उन्होंने अपने माँग को मनवाने के लिए भूख हड़ताल का प्रयोग किया। इन्होंने अहिंसा का सदैव समर्थन किया।

महात्मा गाँधी ने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया। वह समस्त संसार के लिए स्वतंत्रता माँगते थे।

निर्भीकता गाँधी जी के सत्याग्रह का आवश्यक अंग है वे लोगों के दिलों से सरकार, पुलिस, जेल और अधिकारियों का भय निकाल देना चाहते थे।

वे अंग्रेजों के निजी और सामूहिक रूप के विरूद्ध नहीं थे। वे अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विरूद्ध थे। इस प्रकार गाँधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में असहयोग, सविनय अवज्ञा एवं अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे आन्दोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी ने 'करो या मरो' (डू या डाई) का नारा दिया, साथ ही यह भी कहा कि आंदोलन हिंसात्मक व गुप्त न हो।

निष्कर्षतः ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था लेकिन गाँधी जी ने भारत में उनका सूर्य अस्त कर दिया क्योंकि इस संघर्ष में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया। देश की जनता गाँधी जी के रचनात्मक कार्यों को अधिक महत्व देती थी क्योंकि इनके किसी भी सभा में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। सत्य-अहिंसा के बल पर मध्यम मार्ग अपनाकर गांधी जी ने भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराया।

प्रश्न-4 : "Communal violence is instigated by religious fanatics, initiated by anti-social elements, supported by political activists, financed by vested interests."

''साम्प्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़कायी जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारम्भ की जाती है, राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, निहित स्वार्थों द्वारा वित्तपोषित होती है।'' टिप्पणी कीजिए। (अंक-8)

उत्तर- एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय के विरुद्ध भड़काने में धार्मिक कट्टरपंथियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। ये धार्मिक कट्टरपंथी अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए दूसरे धर्म को निकृष्ट बताकर स्वयं के धर्म की प्रशंसा करते हैं तथा एक विशेष समूह को भड़काकर साम्प्रदायिक हिंसा को अंजाम देते हैं।

उदाहरण के लिए वर्ष 2002 का गोधरा काण्ड हो या मुजफ्फरनगर का साम्प्रदायिक दंगा इसी प्रकार के धार्मिक कट्टरपंथियों के द्वारा भड़काया गया। राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए ऐसी हिंसा को संरक्षित व प्रोत्साहित करती हैं।

1984 का सिख विरोधी दंगा जिसमें हजारों सिख मारे गये, दूषित राजनीति का ही परिणाम था। ऐसे दंगों में असामाजिक तत्त्व बढ़–चढ़ कर भाग लेते हैं क्योंकि इसमें उनका अपना हित सधता है।

लूट–पाट, बलात्कार आदि अपराध ऐसे ही असामाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं। ऐसे साम्प्रदायिक हिंसा में समाज के एक वर्ग को हित पोषित होता है। अपने हित को संरक्षित करने के लिए ये समूह साम्प्रदायिक हिंसा को और भड़काने में ऐसें दंगाईयों को विभिन्न प्रकार से मदद करते हैं।

स्वतंत्रता से पूर्व मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय को अलग पाकिस्तान के लिए भड़काया, जिसका परिणाम 1946 में देश में भड़का साम्प्रदायिक दंगा था।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि साम्प्रदायिक हिंसा समाज के विभिन्न हित समूहों के सामूहिक कृत्य का परिणाम होती है, जिसे भड़काने, संचालित करने का काम कुछ लोग करते हैं लेकिन इसका दुष्परिणाम समाज के सभी लोगों को भुगतना पड़ता है।

प्रश्न-5 : Evaluate the changing status of women in India./भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए। (अंक-8)

उत्तर- भारत के कुल जनसंख्या की लगभग 49% महिलाएँ हैं। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक स्थिति पुरुषों की अपेक्षा सदियों से निम्न रही है। वर्तमान में संवैधानिक प्रावधानों तथा सरकारी प्रयासों से इसकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव परिलक्षित हो रहा है।

आज महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाती जा रही हैं। देश की लगभग 65% महिलाएँ साक्षर हैं, जिसका परिणाम है कि आज प्रतियोगिता परीक्षाओं में शीर्ष सूची में उनका नाम दर्ज रहता है।

अंतरिक्ष, विज्ञान, राजनीति हो या बिजनेस सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है।

एक समय था कि महिलाएँ चहारदीवारी में बंद पति के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थीं, आज वह पुरुषों का नेतृत्व कर रही हैं। गणतंत्र दिवस के परेड मार्च में एक महिला ऑफिसर द्वारा किया गया नेतृत्व इसका उदाहरण है।

राजनीति में राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सोनिया गाँधी, निर्मला सीतारमण, खेल में स्मृति मंधाना, निखत जरीन, बिजनेस में किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर आदि ऐसी महिलाएँ हैं जो किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं।

महिलाओं की बदलती स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता फिर भी यह कहना कि इनकी स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है सही नहीं है क्योंकि आज भी महिलाओं के खिलाफ अनेक हिंसात्मक कृत्य जारी हैं। घरेलू हिंसा, मार–पीट, बलात्कार, कन्या भ्रूण हत्या आये दिन अखबार की सुर्खियाँ बनी रहती हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। इसके बावजूद अभी भी उनकी स्थिति पुरुषों से निम्न बनी हुई है जिसमें सुधार वर्तमान समय की महती आवश्यकता है।

प्रश्न-6 : Discuss the solutions to urban problems.
शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए। (अंक-8)

उत्तर- शहरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक निश्चित भू–भाग में एकत्र व निवास करने लगते हैं, उदाहरण के दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता आदि।

संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया की आधी आबादी शहरों में रहती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2050 तक भारत की 50% आबादी शहरों में रहने लगेगी। वर्तमान में भारत की लगभग 32% आबादी शहरों में रहती है।

शहरीकरण की इस प्रक्रिया ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे– आवास की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, परिवहन, अपराध, शराब एवं ड्रग्स, शहरी बाढ़, जलापूर्ति व निकासी आदि।

शहरीकरण की उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं तथा उपायों को क्रियान्वित कर रही है जिसका विवरण निम्न है–

- सरकार स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी कई योजनाएँ चला रही है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जैसे कदम भी उठाये जा रहे हैं।
- राजीव आवास योजना के तहत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है।
- पर्यावरण प्रदूषण से निजात पाने के लिए परिवहन में डीजल पेट्रोल के स्थान पर CNG को बढ़ावा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन को रोका जा सके।

निष्कर्ष- शहरीकरण एक दोधारी तलवार की तरह है। यदि इसका विकास नियोजित रहा तो फायदा होगा और यदि अनियोजित रहा तो अनेक समस्याएँ उत्पन्न होंगी। जिसका समाधान सरकार के लिए एक चुनौती होगी।

प्रश्न-7 : Give an account of the minerals found in Uttar Pradesh.

उत्तर प्रदेश में पाये जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। (अंक-8)

उत्तर- खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। यहाँ विन्ध्य क्रम की शैलों, बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदी घाटियों में खनिज पाए जाते हैं।

खनिजों की खोज एवं विकास हेतु प्रदेश में भूतल एवं खनिज कर्म निदेशालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गयी।

उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 के अनुसार 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया जिनमें कोयला, चूना पत्थर, बाक्साइट, जिप्सम, हीरा, सोना, तांबा, यूरेनियम, सिलिका सैंड, आदि प्रमुख खनिज पाये जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण क्षेत्र निम्नलिखित है–

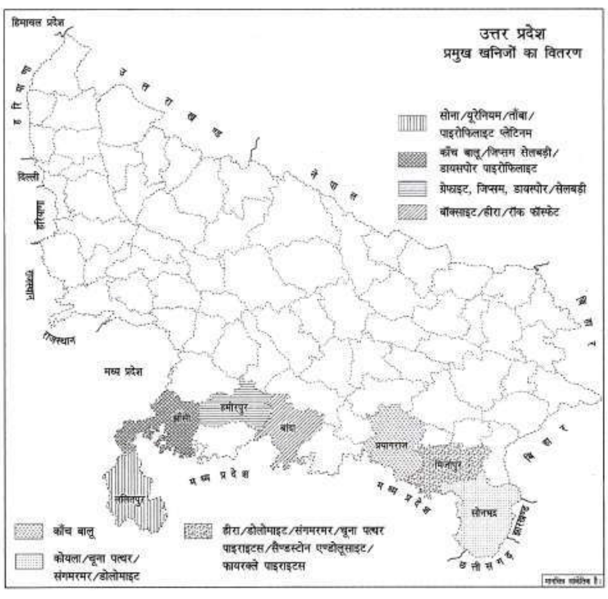

कोयला– सिंगरौली क्षेत्र (सोनभद्र)

चूना पत्थर - बाबूहारी क्षेत्र, कनाच (मिर्जापुर) कजराहट क्षेत्र (सोनभद्र)

जिप्सम– झाँसी, हमीरपुर

बाक्साइट– बांदा, ललितपुर

हीरा– बांदा, मिर्जापुर

सोना– शारदा एवं रामगंगा नदियों के रेत में

यूरेनियम– ललितपुर

सिलिका सैंड– गंगा और यमुना नदी क्षेत्र

फायर क्ले– मिर्जापुर

प्रश्न-8 : Enumerate the core infrastructure elements for Smart City development.

स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताए। (अंक-8)

उत्तर- भारत में स्मार्ट सिटी की कल्पना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की है जिन्होंने देश के 100 नगरों को स्मार्ट नगरों के रूप में विकसित करने का संकल्प किया है।

इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचे में व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों और निवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है। स्मार्ट सिटी के विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व निम्नलिखित हैं–

(1) पर्याप्त जल आपूर्ति
(2) बिजली आपूर्ति (24 घंटे)
(3) स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
(4) कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
(5) किफायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए
(6) मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
(7) सुशासन, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और नागरिकों की भागीदारी
(8) सतत् पर्यावरण
(9) सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा
(10) स्वास्थ्य सुविधाएं अति शीघ्र एवं कुशलता से उपलब्ध
(11) शिक्षा

निष्कर्ष- स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में भारत सरकार के द्वारा उठाया गया एक सकारात्मक पहल है।

प्रश्न-9 : Write a note on the Global Warming.

भू–मण्डलीय ऊष्मन पर टिप्पणी लिखिये। (अंक-8)

उत्तर-पृथ्वी के वायुमण्डल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरो–फ्लोरो कार्बन पृथ्वी के विकिरण को पृथ्वी पर तो आने देती है पर पृथ्वी से परावर्तित विकिरण को पृथ्वी के वायुमण्डल से बाहर नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ने लगता है। इसी परिघटना को भू–मण्डलीय ऊष्मन कहा जाता है।

इस बढ़ते तापमान के कई दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं, जैसे– कोरल रीफ की मृत्यु, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, मानसूनी पैटर्न में बदलाव, विभिन्न प्रकार के रोगों का विस्तार, कई द्वीपीय देशों के समुद्र में डूबने का खतरा आदि।

IPCC (जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर-सरकारी पैनल) की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यदि तापमान में इसी क्रम में बढ़ोत्तरी होती रही तो इस सदी के अंत तक करोड़ों लोगों को भोजन, पानी भी नसीब नहीं होगा। कई द्वीपीय देश समुद्र में समा जायेंगे।

इस बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है। वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकाल पर सहमति बनी, जिसके तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कमी लाने पर सहमति बनी। ग्रीन हाउस गैसों की कमी तथा इसके विकल्प खोजने के लिए अलग से कोष बनाने पर सहमति बनी।

कुछ विकसित देशों के निहित स्वार्थ के कारण इस समस्या से निजात पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पेरिस समझौते की असफलता इसका एक उदाहरण है।

निष्कर्ष- भू-मण्डलीय ऊष्मन एक वैश्विक समस्या है जिससे सामूहिक सहयोग से ही निपटा जा सकता है। यदि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह मानव जीवन के लिए संकट साबित होगा।

प्रश्न-10 : Give a geographical account of Bundelkhand as a cultural region.

बुन्देलखण्ड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। (अंक-8)

उत्तर- बुन्देलखण्ड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका प्राचीन नाम 'जेजाकभुक्ति' है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश (जालौन, झाँसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बाँदा एवं महोबा जिले) और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में है।

बुन्देली इस क्षेत्र की मुख्य बोली है। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखण्ड में जो एकता और समरसता है उसके कारण यह क्षेत्र अपने आप में सबसे अनूठा है। महाराजा छात्रसाल एवं राजा बुंदेला इसी क्षेत्र से थे।

स्थापत्य कला के क्षेत्र में बुन्देलखण्ड का अपना विशेष महत्व है। मंदिर निर्माण का विकास गुप्तकाल में हुआ। इस समय के मंदिरों में देवगढ़ (ललितपुर) का पत्थर निर्मित मंदिर है। जो अपने समय का सर्वोत्कृष्ट मंदिर था। इसमें विष्णु भगवान को शेषशय्या पर लेटे हुए दिखाया गया है। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित प्रथम मंदिर है। इसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है।

मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के पन्ना जिले में नचना–कुठार का पार्वती मंदिर बना है। जो गुप्त कालीन है।

एरण का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) में स्थित है। इन मंदिरों की दीवारों पर अनेक धार्मिक चित्र बने हुए हैं, जो विष्णु एवं अन्य देवी-देवताओं के हैं।

बुन्देलखण्ड में लोकगीतों की एक समृद्ध परम्परा रही है। यहाँ क्षेत्र और अवसर के अनुसार लोकगीतों के सुर, लय एवं ताल आदि में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। आल्हा प्रायः पूरे प्रदेश विशेषतः बुन्देलखण्ड में गाया जाता है। यह बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 'वीर रस' में गाया जाता है। 'ईसुरी फाग' का संबंध भी इसी क्षेत्र से है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभिन्न लोकनृत्य प्रस्तुत किये जाते हैं। ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुन्देलखण्ड में प्रस्तुत किया जाता है।

सैरा नृत्य इस क्षेत्र में फसल कटाई के समय हर्ष प्रकट करने के लिए करते हैं। धुरिया नृत्य बुन्देलखण्ड के प्रजापति लोग इस नृत्य को स्त्री का वेश धारण करके करते हैं। बुंदेलखण्ड के क्षेत्रों में देवीनृत्य, राई नृत्य (जिसे मयूर नृत्य भी कहते हैं), पाई डण्डा व कार्तिक नृत्य किया जाता है।

निष्कर्ष- यह कह सकते हैं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के समान सांस्कृतिक रूप से धनी है। इस क्षेत्र में स्थापत्य के अनूठे निर्माण तो हैं ही इसके साथ लोकगीत, आल्हा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनके प्रकार के नृत्य भी किये जाते हैं, जो समृद्ध संस्कृति की ओर इशारा करते हैं।

SECTION-B/खण्ड-ब

प्रश्न-11 : "The spine of Indian Economy was badly injured during the 200 years of British Rule." Explain.

''200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यस्था के मेरूदण्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया था।'' व्याख्या कीजिए।

(अंक-12)

उत्तर- ब्रिटिश विजय का भारत पर स्पष्ट और गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिस पर ब्रिटिश नीतियों का विपरीत प्रभाव न पड़ा हो।

लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों को पतन के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। इंग्लैण्ड से आयात की जाने वाली मशीनों द्वारा बनायी गयी सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंदिता बढ़ती गयी।

अंग्रेजों ने 1813 के बाद एकतरफा मुक्त व्यापार नीति भारत पर लाद दी और ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं, विशेषकर सूती वस्त्रों की तुरंत बड़ी भरमार हो गयी। आदिम तरीके से बनी भारतीय वस्तुएँ भाप से चलने वाली शक्तिशाली मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई गयी वस्तुओं की प्रतिद्वंदिता में नहीं टिक सकी।

18वीं एवं 19वीं शताब्दियों के दौरान ब्रिटेन एवं यूरोप ने भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिये, जिससे विदेशों में भारतीय वस्त्रों की माँग बहुत कम हो गयी। अंग्रेजों ने भारत से कच्चे माल ब्रिटेन को निर्यात किया, जिससे हस्तशिल्प की वस्तुओं की लागत बढ़ गयी। इस प्रकार भारतीय माल बाजार में नहीं टिक सके।

ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत किसानों की दशा भी दयनीय हो गई। बंगाल में क्लाइव एवं वारेन हेस्टिंग्स ने अधिकतम राजस्व की वसूली की, जिसके कारण ''बंगाल का 1/3 भाग जंगल में बदल गया'', रैयत एवं महालवाड़ी व्यवस्था में भी किसानों की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। किसान जब राजस्व अदा करने में असमर्थ हो गये, उनकी भूमि को नीलाम कर दिया गया। तब कभी कभी महाजन से उच्च ब्याजदर पर भू-राजस्व को चुकाने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता था। कृषि के बढ़ते हुए वाणिज्यीकरण ने भी महाजन सह-सौदागर का शोषण करने में मदद की।

ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल तथा मद्रास के पुराने जमींदार तबाह हो गये, ऐसा इसलिए हुआ, जो जमींदार ऊँची बोली लगाता था उसी को राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त होता था। यह वारेन हेस्टिंग्स के नीतियों के कारण हुआ।

1815 ई. तक बंगाल की लगभग 50 प्रतिशत भू-सम्पत्ति पुराने जमींदारों के हाथों से निकल कर सौदागरों तथा अन्य धनी व्यक्तियों के पास पहुँच गयी। जमींदारी प्रथा के प्रसार की उल्लेखनीय विशेषता विचौलियों का उदय थी।

कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, अत्यधिक भू-राजस्व निर्धारण, जमींदारी प्रथा के पनपने, बढ़ती ऋणग्रस्तता और किसानों की बढ़ती दरिद्रता के फलस्वरूप भारतीय कृषि गतिहीन होने लगी। इससे कृषि का अपकर्ष होने लगा। इसके फलस्वरूप कृषि का प्रति एकड़ पैदावार घट गयी।

1901 और 1939 के बीच कुल कृषि उत्पादन 14 प्रतिशत कम हो गया सरकार ने कृषि में सुधार एवं आधुनिकीकरण की दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। इससे किसानों, बुनकरों एवं पुराने जमींदारों की स्थिति दयनीय हो गयी। कृषि का पतन होने से लोग भुखमरी के शिकार हो गये।

प्रश्न-12 : Discuss the role of Hitler in Bringing about the Second World War.

द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यम्भावी बनाने में हिटलर की भूमिका की विवेचना कीजिए। (अंक-12)

उत्तर-हिटलर जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा किये गये विद्वेषपूर्ण व्यवहार और अपमान को भूला नहीं था। सत्ता में आते ही अपनी नीतियों के कार्यान्वयन में सक्रिय हो गया। उसकी वैदेशिक नीति का कार्यान्वयन करना ही द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यम्भावी बना दिया।

सत्ता अधिग्रहण के पश्चात विदेश नीति के क्षेत्र में हिटलर किस प्रकार की नीति का अवलंबन करेगा इसकी जानकारी उसके पुस्तक 'मिन कैम्फ' से मिल जाती है।

हिटलर अपने भाषणों में वर्साय संधि का विरोध करता था। उसकी एक अन्य नीति जर्मन साम्राज्य का विस्तार एवं पूर्वी यूरोप में 'स्लाव' प्रजाति को मिटा कर जर्मन साम्राज्यवाद का विस्तार करना था।

सत्ता में आते ही हिटलर ने सर्वप्रथम वर्साय संधि पर प्रहार किया। अक्टूबर 1933 ई. में जर्मन प्रतिनिधियों को निरस्त्रीकरण सम्मेलन से वापस बुला लिया और उसी समय राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया।

जनवरी, 1934 ई. में उसने पोलैण्ड से एक दस वर्षीय अनाक्रमण संधि की। जून, 1935 ई. में जर्मनी ने इग्लैण्ड के साथ समझौता किया।

1935 ई. में हिटलर राइनलैण्ड पर जबरन कब्जा करने की तैयारी करने लगा और उसने 35 हजार जर्मन सैनिकों को भेजकर राइनलैण्ड को अपने अधिकार में कर लिया।

मुसोलिनी ने अबेसिनिया पर आक्रमण किया। हिटलर ने इस कार्यवाही का समर्थन किया, जिसके कारण इटली एवं जर्मनी में मध्य संबंध मधुर हो गये। इस प्रकार 'रोम-बर्लिन' धुरी का निर्माण हुआ।

सभी जर्मन भाषा-भाषी लोगों को एक सूत्र में बाँधना हिटलर की विदेश नीति का हिस्सा था। ऑस्ट्रिया के निवासी भी जर्मन जाति के थे और हिटलर उन्हें जर्मन साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। तत्कालीन समय में आस्ट्रिया का प्रधानमंत्री जोसेफ डॉल्फस था। वह ऑस्ट्रिया की स्वतंत्र स्थिति बनाये रखना चाहता था। इसलिए उसने आस्ट्रियाई जर्मनवासियों का दमन शुरू कर दिया वे भागकर जर्मनी आ गये और हिटलर के निर्देश पर 'आस्ट्रियाई लिजिन' की स्थापना की। इन लोगों ने डाल्फस की हत्या कर दी, लेकिन सत्ता को हस्तगत करने में सफल न हुए। हिटलर ने आस्ट्रिया पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिला लिया।

ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को अपने साम्राज्यवादी इरादों का लक्ष्य बनाया। चेकोस्लावाकिया के बाद हिटलर का अगला लक्ष्य पोलिश गलियारा और अञ्जिग के जर्मन नगर पर अधिकार करना था।

1 सितम्बर 1939 ई. को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस एवं ब्रिटेन ने पोलैण्ड का पक्ष लिया। इस प्रकार यूरोप की महाशक्तियां युद्ध में फँस गयीं, जिसके परिणामस्वरूप इन परिस्थितियों ने द्वितीय विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यम्भावी बना दिया लेकिन इस युद्ध के लिए हिटलर एकमात्र जिम्मेदार था, कहना गलत होगा। यदि फ्रांस व ब्रिटेन तुष्टीकरण की नीति न अपनाकर हिटलर के कृत्यों पर नियंत्रण लगाये होते तो द्वितीय विश्वयुद्ध को रोका जा सकता था।

प्रश्न-13 : Revolt of 1857 was a turning point in Indian History" Analyse.

''1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था।'' विश्लेषण कीजिए। (अंक-12)

उत्तर- 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव को हिला दिया और उसका पुनर्गठन अनिवार्य बना दिया। विद्रोह के बाद के दशकों में भारत सरकार के ढाँचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

1857 के पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून ने शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कम्पनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के हाथ में दिया था। परंतु 1857 की क्रांति के पश्चात, भारत शासन अधिनियम 1858 बनाया गया जिसके तहत अब शासन का भार ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दे दिया। उनकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त कर दी गयी।

भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस प्रकार भारत की सत्ता संसद के हाथों में चली गयी।

शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को प्रान्तों में बाँटा इनमें से बंगाल, मद्रास एवं बम्बई को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन प्रेसीडेंसियों का प्रशासन एक गवर्नर तथा तीन सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलता था। इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा किया जाता था।

प्रेसिडेंसियों की सरकारों को दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त थीं। दूसरे प्रान्तों का शासन गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टीनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर चलाते थे।

1858 ई. के बाद सेना का सावधानी के साथ पुनर्गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपीयों को बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना में 1:2 के अनुपात में था। मद्रास, मुम्बई में 2:5 के अनुपात में था। इसके लिए भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया।

1857 के विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने भारतीय रजवाड़ों के प्रति अपनी नीति परिवर्तित कर ली क्योंकि इस विद्रोह के पूर्व भारतीय राज्यों को हड़पने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे। अब यह नीति त्याग दी गयी। अब उनको गोद लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। भविष्य में राजाओं के राज्यों का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा।

अंग्रेजों ने भारत पर विजय भारतीय शासकों की फूट का लाभ उठा कर और उन्हें एक दूसरे से लड़ाकर प्राप्त की थी। इन्होंने ''बॉटों और राज करो'' की नीति को जारी रखने का फैसला किया। हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों को आगे करके लड़ाने का घृणित नीति का अनुसरण करने में माहिर थे।

रूढ़िवादी वर्गों से सहयोग की नीति के अनुसार अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी उनका विचार था कि सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा के कारण 1857 के विद्रोह हुए। इसलिए रूढ़िवादियों का सहयोग करना आरम्भ कर दिया।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 1857 के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी नीति में व्यापक परिवर्तन किये। उन्होंने वही कार्य किये जो उनके लिए लाभकारी थे।

प्रश्न-14 : "Secularism as an orientation and a set of practices is indispensable to India's future as liberal democracy." (अंक-12)

''धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन व व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य है।'' विवेचना कीजिए।

उत्तर- भारत एक लोकतांत्रिक वाला देश है, जहाँ शासन व्यवस्था की समस्त शक्तियाँ जनता में निहित हैं। इस बात का उल्लेख संविधान की प्रस्ताव में उल्लिखित 'हम भारत के लोग' के रूप में हुआ है।

भारत एक बहुधार्मिक व बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी तथा यहूदी सभी धर्म के लोग साथ–साथ न केवल रहते हैं बल्कि राष्ट्र के निर्माण तथा विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए कितना महत्त्वपूर्ण है, इस बात से यह स्पष्ट होता है।

धर्मनिरपेक्षता को भारतीय शासन व्यवस्था तथा जीवन का अंग माना जाता है। इसकी महत्ता को देखते हुए वर्ष 1976 में संविधान की प्रस्तावना में इसको स्थान प्रदान किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है बल्कि उसके लिए सभी धर्म समान महत्त्व के हैं। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

भारत जैसे बहुधर्मी देश के लिए धर्मनिरपेक्षता अति महत्त्वपूर्ण है। इसके अभाव में धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि होगी और आपसी संघर्ष से देश के विकास में बाधा पहुँचेगी।

किसी एक धर्म को महत्त्व देने से अन्य धर्म के लोगों का राष्ट्र निर्माण में यथोचित सहयोग नहीं प्राप्त होता है। इससे राष्ट्र की विकास दर प्रभावित होती है।

निष्कर्ष- भारत को यदि सम्पूर्ण विकास करना है तो उसे धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करना ही होगा। इसके अभाव में साम्प्रदायिक संघर्ष बढ़ेगा और भारत का भविष्य संकट में पड़ सकता है जो कि एक लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत होगा।

प्रश्न-15 : Discuss the impact of globalization on the status of women in Indian society by citing suitable examples. (अंक-12)

भारतीय महिलाओं पर भूमण्डलीकरण के प्रभावों की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए।

उत्तर- भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत में न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए हैं। इसने भारतीय महिलाओं को भी प्रभावित किया है। वैश्वीकरण का भारतीय महिलाओं पर प्रभाव निम्नलिखित है–

वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ोत्तरी से महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बैंकिंग के क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ है। जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इससे महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच में बदलाव भी आ रहा है। साथ ही महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। यही नही बल्कि इससे घर के भीतर और घर के बाहर निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

भूमंडलीकरण के प्रभाव से महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सतर्क हुई हैं। आज के समय में और भी मुखर होकर महिलाएँ अपने साथ हुए अन्याय, शोषण के विरूद्ध आवाज उठा रही हैं।

वैश्वीकरण ने महिलाओं के जीवन शैली को भी प्रभावित किया है। वर्तमान में भारतीय महिलाओं की वेश–भूषा, खान–पान, रहन–सहन, पहनावा आदि में काफी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। साथ ही पहले की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भी बढ़ोत्तरी हुई है जिसके कारण प्रेम विवाह, विधवा विवाह, अन्तर्जातीय विवाह आदि का प्रचलन बढ़ा है।

वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय महिलाएँ भूमंडलीकरण के प्रभाव से अपनी साख में वृद्धि कर रही हैं। उदाहरण के लिए इंदिरा नूई, चन्दा कोचर, ऊषा सुब्रमण्यम, फाल्गुनी नायर आदि को देख सकते हैं।

हालांकि वैश्वीकरण ने महिलाओं को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है। जैसे–रोजगार में बढ़ोत्तरी के साथ शारीरिक शोषण में वृद्धि, परिवार तथा रोजगार में सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण पारिवारिक विघटन में वृद्धि, दोहरे दबाव से तनाव, अवसाद में वृद्धि आदि।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय महिलाओं पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, रूप से प्रभाव डाला है जिससे महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार आया है।

प्रश्न-16 : What is globalization? Discuss its impact on the social structure of India.

वैश्वीकरण क्या है? भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। (अंक-12)

उत्तर-वैश्वीकरण समस्त विश्व को एक होने की एक प्रक्रिया है जिसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक निहितार्थ हैं। इस प्रक्रिया ने समस्त विश्व को एक ग्लोबल गाँव के रूप में परिवर्तित कर दिया है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय सामाजिक संरचना को बहुत व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है। इसके प्रभाव को हम निम्न बिन्दुओं के तहत देख सकते हैं–

1. **परिवार पर प्रभाव–** वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने परिवार के स्वरूप तथा उसके क्रियाकलाप में परिवर्तन कर दिया है। संयुक्त परिवार, एकल परिवार में परिवर्तित होता जा रहा है। लोग सामूहिक जिम्मेदारियों से अपने आप को अलग करते जा रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्यों पर बड़े–बूढ़ों का जो नियंत्रण था उसमें शिथिलता आई है तथा संस्कारों में भी तेजी से परिवर्तन हुआ है।
2. **महिलाओं पर प्रभाव–** वैश्वीकरण ने महिलाओं पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव डाले हैं। जहाँ एक ओर महिलाओं को स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत पहचान मिली है, तो दूसरी ओर उनका शारीरिक व मानसिक शोषण भी बढ़ा है।
3. **खान–पान एवं वेशभूषा पर प्रभाव–** वैश्वीकरण ने भारतीयों के खान–पान तथा वेशभूषा पर भी प्रभाव डाला है। आज लोगों के खान पान एवं वेश भूषा में व्यापक बदलाव देखा जा सकता है। जैसे दाल–रोटी का स्थान बर्गर–पिज्जा, डोसा ने ले लिया है। धोती–कुर्ता, पैजामा का स्थान जींस, कोट–पैंट ने ले लिया है। महिलाएँ साड़ी की जगह जींस–टाप पहनने लगी हैं।
4. **धर्म पर प्रभाव–** धर्म में परम्परागत रूढ़िवादिता में कमी आयी है। वैश्वीकरण के कारण वैज्ञानिकता व तार्किकता को बढ़ावा मिला है।
5. **कला, भाषा एवं साहित्य पर प्रभाव–** वैश्वीकरण के कारण लोकसंगीत का स्थान, पाश्चात्य संगीत ने ले लिया है। मातृ भाषा के प्रति लोगों का लगाव कम तथा अंग्रेजी व अन्य विदेशी भाषाओं का प्रसार बढ़ा है। अब तो साहित्य भी विदेशी भाषा में, विदेशी विषय वस्तु को लेकर लिखे जाने लगे हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है। इसमें कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। हमें सकारात्मकता को स्वीकार करना चाहिए तथा नकारात्मकता से बचना चाहिए ताकि सामाजिक संरचना को सही आकार दिया जा सके।

प्रश्न-17 : Give an account of the primary targets of Uttar Pradesh Tourism Policy (2018).

उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति (2018) के प्राथमिक लक्ष्य का विवरण दीजिए। (अंक-12)

उत्तर- उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के बावजूद इसका समुचित विकास नहीं हो सका है। इसी संदर्भ में प्रदेश सरकार ने फरवरी 2018 में 'उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018' की घोषणा की। यह नीति 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी जिसके निम्न लक्ष्य निर्धारित हैं–

- प्रदेश को वर्ष 2023 तक देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना।
- प्रतिवर्ष 5000 करोड़ रुपये निवेश को आकर्षित करना।
- आगामी 5 वर्षों में निरंतर 15% घरेलू पर्यटक आगमन तथा 10% विदेशी पर्यटक आगमन की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना।
- प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- आगामी 5 वर्षों में 10000 पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- प्रतिवर्ष 10 विरासत भवनों को विरासत होटलों में परिवर्तित करना।
- प्रतिवर्ष प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों में 1 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना।
- सड़क, रेल व वायु के माध्यम से प्रदेश के सभी धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलों के क्षेत्रीय सम्पर्क में सुधार करना।
- प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, दीपोत्सव, गीता महोत्सव, गंगा महोत्सव तथा ऐसे ही अन्य महोत्सवों एवं उत्सवों के क्रियान्वयन के माध्यम से स्थानीय उद्यमिता में सुधार करना।
- राज्य की देश के प्रमुख 'माइंस' स्थल अर्थात् बैठकों, प्रोत्साहन कार्यक्रमों व सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों के स्थल के रूप में विकसित करना है।
- प्रदेश भर में जन सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि करके पर्यटकों को अनुभव प्राप्त करता है।

निष्कर्ष-इस प्रकार उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, प्रदेश को एक उत्तम पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु प्रेरित है। ताकि इससे लोगों को रोजगार और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्राप्त हो सके।

प्रश्न-18 : What is an air mass? Describe its chief characteristics.

वायु–राशि क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। (अंक-12)

उत्तर- जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त समय तक रहती है तो यह उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। यह समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकते हैं। तापमान और आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु, वायुराशि कहलाती है। अर्थात वायु राशि वायु का एक ऐसा विस्तृत पुंज है जिसमें प्रत्येक क्षैतिज जल में तापमान एवं आर्द्रता घनत्व तथा वायुदाब संबंधी भौतिक लक्षणों में समरूपता पायी जाती है। हजारों किमी. विस्तृत इस वायुपुंज में 150 किमी. या इससे भी अधिक दूरी पर तापमान एवं आर्द्रता में परिवर्तन नहीं होता है।

वायुराशि की विशेषताएं– वायुराशियों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं–

(1) वायुराशि अपने नीचे स्थित धरातल में तापमान एवं आर्द्रता संबंधी भौतिक गुणों को आत्मसात कर लेती है तथा संतुलन स्थापित कर लेती है।

(2) कोई भी वायुराशि अपने नीचे स्थित धरातल जिस पर वायुराशि गतिमान होती है उसके तापमान के सापेक्ष उष्ण या शीतल कही जाती है।

(3) उष्ण वायुराशि में स्थायित्व पाया जाता है, क्योंकि उष्ण वायुराशि के नीचे स्थित अपेक्षाकृत ठण्डा धरातल वायुराशि में स्थायित्व ला देता है, जिसके कारण उष्ण वायु राशि में ऊर्ध्वाधर गति नहीं पायी जाती है। जबकि शीतल वायुराशि के नीचे स्थित अपेक्षाकृत गर्म धरातल वायुराशि में संवहन धाराएं उत्पन्न कर देता है। जिसके कारण वायु में उर्ध्वाधर गति पायी जाती है।

(4) जब किसी वायुराशि की उत्पत्ति समुद्र या महाद्वीप पर होती है तो वह गतिमान हो जाती है। यदि वायुराशि की उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्र में होती है तो वह निम्न अक्षांश की ओर तथा उत्पत्ति अगर निम्न अक्षांश में होती है तो वह उच्च अक्षांश की ओर गतिमान हो जाती है।

(5) जब वायुराशि अपनी उत्पत्ति क्षेत्र से अन्य प्रदेशों की ओर गतिमान होती है तो सभी भौतिक विशेषताएं जिन्हें वे अपनी उत्पत्ति क्षेत्र में विकसित कर चुकी होती हैं, पूर्ववत बनी रहती हैं।

प्रश्न-19 : How are volcano, earthquake and tsunami related to each other?

ज्वालामुखी, भूकम्प और सुनामी आपस में कैसे सम्बन्धित हैं? ज्वालामुखी उद्‌गार के सम्भावित सभी कारणों पर प्रकाश डालिए। (अंक-12)

उत्तर- स्थलीय दृढ़ भूखण्ड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से सम्बन्धित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। हैरी हेस द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त के आधार पर ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी के सहसम्बन्धों की व्याख्या किया जा सकता है।

अध्ययन की दृष्टि से प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि प्लेटों की गतिविधियों का प्रभाव इन किनारों पर परिलक्षित होता है। इन किनारों के सहारे ही ज्वालामुखी, भूकंप एवं सुनामी की उत्पत्ति होती है। सामान्य रूप से प्लेट के किनारे तीन प्रकार के होते हैं-

(1) रचनात्मक प्लेट किनारा (अपसारी)
(2) विनाशी प्लेट किनारा (अभिसारी)
(3) संरक्षी प्लेट किनारा।

इन तीनों के स्वभाव के कारण ज्वालामुखी, भूकंप तथा सुनामी आते हैं परन्तु इन किनारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किनारा विनाशी प्लेट किनारा है। जिसके सहारे अधिकतर घटनाएं घटित होती हैं।

विनाशी प्लेट किनारे के सहारे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का उद्‌गार होता है। वास्तव में जब विनाशी प्लेट किनारे आपस में टकराते हैं (जब दो प्लेटें आमने–सामने गतिशील होती हैं) तो टकराव के कारण अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट किनारे का कम घनत्व वाली प्लेट किनारे के नीचे क्षेपण हो जाता है। परिणामस्वरूप क्षेपित भाग नीचे मेन्टिल में चला जाता है। प्लेटों के इस आपसी टकराव, क्षेपित भाग के रगड़ एवं क्षेपित भाग के 100 किमी. या उससे अधिक गहराई में (मैण्टिल) जाकर अत्यधिक ताप के कारण पिघलने से मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के केन्द्रीय उद्‌भेदन के रूप में प्रकट होते हैं जिसके कारण आंतरिक हलचल उत्पन्न होती है जो तीव्र भूकंप का कारण बनती है।

उदाहरण के लिए यूरेशियाई प्लेट एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट को देख सकते हैं। इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी तथा भूकंप आते हैं इस पूरे क्षेत्र को अग्निवलय (Ring of fire) कहा जाता है।

सुनामी महासागरों में उत्पन्न उच्च ऊर्जा वाली लहरे होती हैं, जिनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से महासागरीय तली में भ्रंशन तथा प्लेटों के टकराने से उत्पन्न रिक्टर मापक पर 7.0 से अधिक परिमाण वाले अन्तः सागरीय भूकंपों द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त सुनामी की उत्पत्ति महासागरीय तलियों पर ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्‌गार से भी होती है।

ज्वालामुखी, भूकंप तथा सुनामी प्लेटों के संचलन से ही आते हैं इसलिए इनका आपस में सम्बंध होता है। क्योंकि ज्वालामुखी, भूकंप उत्पन्न करता है तथा भूकंप सुनामी उत्पन्न करता है। ज्वालामुखी उद्‌गार के निम्नलिखित अन्य कारण भी हो सकते हैं।

(1) भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना।
(2) कमजोर भू-भाग का होना
(3) जलवाष्पों की उपस्थिति
(4) भूकंप
(5) सागर नितल प्रसरण

प्रश्न-20 : Mention the factors responsible for the origin of ocean currents and name the currents of the Atlantic Ocean.

महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए और अन्ध महासागर की जल धाराओं का नाम बताइए। (अंक-12)

उत्तर- सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएँ कहते हैं। धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रयास के फलस्वरूप सम्भव होती है। इन कारकों को तीन वृहद् भागों में विभाजित किया जाता है–

(1) पृथ्वी के परिभ्रमण से सम्बन्धित कारक–पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी अक्ष रेखा के सहारे परिक्रमा करती है। इस गति के कारण जल स्थल का साथ नही दे पाता है। जिस कारण वह पीछे छूट जाता है, परिणामस्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। जैसे- विषुवत रेखीय धारा।

(2) सागर से सम्बन्धित कारक– सागरीय जल के तापमान में स्थानीय परिवर्तन होते हैं जिस कारण धाराओं की उत्पत्ति होती है।

(A) तापमान में भिन्नता– पृथ्वी पर सूर्यातप के वितरण में पर्याप्त असमानता पायी जाती है। जहां सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। वहां समुद्री जल में फैलाव होता है। इसके विपरीत निम्न ताप और उच्च भार के क्षेत्र में समुद्री जल में नीचे बैठने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में उच्च तापीय प्रदेश का जल निम्न या मध्य तापीय प्रदेश की ओर प्रवाहित होता है। जैसे– गल्फ स्ट्रीम

(B) लवणता में भिन्नता–अधिक लवणता वाले समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है जिस कारण उसमें नीचे बैठने की प्रवृत्ति नहीं होती है जिससे कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले जल की तरफ गतिशील हो जाते हैं। जैसे– अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर जल का प्रवाह।

(3) बाह्य महासागरीय कारक–महासागरीय जल पर वायुमण्डलीय दशाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। इनमें वायुमण्डलीय दबाव तथा उनमें भिन्नता, वायु दिशा, वर्षा, वाष्पीकरण आदि धाराओं की उत्पत्ति में सहायक है।

(A) वायुदाब– जहॉ पर वायुदाब अधिक होता है वहाँ पर जल के आयतन में कमी के कारण जल तल नीचा हो जाता है। जिसके विपरीत कम वायुदाब वाले क्षेत्रों में जल तल ऊँचा हो जाता है जिस कारण उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर जल गतिशील हो जाता है।

(B) प्रचलित अथवा सनातनी पवनें– सनातनी पवनें धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब सागरीय जल से होकर पवने चलती है तो वह अपनी रगड़ के कारण जल को बहा ले जाती है। जैसे– व्यापारिक हवायें विषुवत रेखीय धाराओं के उत्पत्ति में तथा पछुवा पवन प्रशान्त महासागर में क्यूरोशियो धारा की उत्पत्ति में सहायक होती है। वस्तुतः विश्व की सभी प्रमुख धाराएं प्रचलित वायु की दिशा में ही प्रवाहित होती हैं।

अन्ध महासागर की जलधाराओं के नाम– अन्ध महासागर के धाराओं को दो भागों में बाटा जा सकता है–

(1) उत्तरी अंध महासागर की धाराएं– उत्तरी अंध महासागर की धाराओं को भी गर्म एवं ठण्डी जलधार में बॉटा जाता है।

(A) गर्म जलधारा– उत्तर विषुवत रेखीय धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, उ0 अटलांटिक प्रवाह, नार्वे की धारा, रेनेल की धारा।

(B) ठण्डी जल धारा– लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, पूर्वी ग्रीनलैण्ड की धारा

(2) दक्षिणी अंध महासागर की धाराएँ– इसे भी गर्म धाराओं एवं ठण्डी धाराओं में विभक्त किया जाता है।

(A) गर्म धाराएँ– दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, ब्राजील की धारा, गिनी तट की धारा।

(B) ठण्डी धाराएँ– फॉकलैण्ड की धारा, बेंगुएला की धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018

सामान्य अध्ययन : प्रश्न पत्र– II

General Studies : Paper-II

निर्धारित समय : तीन घंटे | **अधिकतम अंक : 200**

Time Allowed : Thee Hours | **Maximum Marks : 200**

Note: (1) There are 20 questions. Section–A consists of 10 short answer questions with word limit of 125 each and Section–B consists of 10 long answer questions with word limit of 200 each. The questions are printed both in Hindi and in English.

नोट : (1) कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खण्ड–अ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द–सीमा 125 तथा खण्ड–ब से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 निर्धारित है। जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

(2) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।/All questions are compulsory.

(3) प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

(4) प्रश्नों में इंगित शब्द–सीमा को ध्यान में रखें।/Keep the word limit indicated in the question in mind.

(5) उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णत: काट दें।

Any page or portion of the page left blank in the answer booklet must be clearly struck off.

SECTION–A/खण्ड-अ

प्रश्न-1 : Why is India opposed to mediation on Kashmir?/कश्मीर मामले में भारत मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है? (अंक-8)

उत्तर–भारत और पाकिस्तान के मध्य स्वतंत्रता के बाद से ही कश्मीर को लेकर विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान द्वारा हमेशा इस मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया गया है और तीसरे पक्ष को शामिल करने की कोशिश की जाती रही है लेकिन भारत द्वारा हमेशा इसका विरोध करने के साथ ही द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने की बात कही जाती रही है। इसके पीछे भारत के निम्नलिखित तर्क रहे हैं–

1. भारत का कश्मीर विवाद आंतरिक मुद्दा है। कश्मीर का भारत में विलय वहां के राजा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर से किया गया है। विधिक रूप से यह भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2. ताशकंद और शिमला समझौते में भी भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा स्वीकार किया है इसलिए भारत किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करता है।

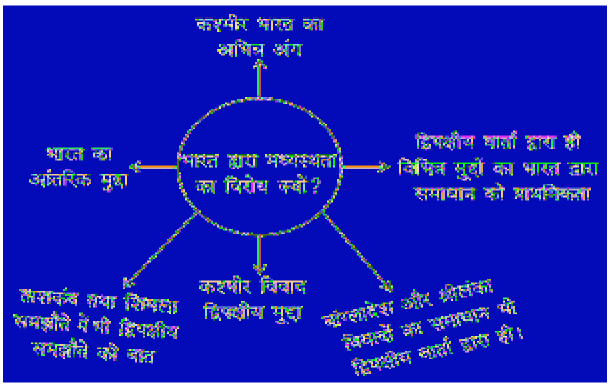

3. भारत की विदेश नीति हमेशा से विवादित मुद्दों के समाधान में द्विपक्षीय वार्ता को महत्व देती आयी है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश व श्रीलंका के साथ विवादों के समाधान को देखा जा सकता है।
4. कश्मीर मुद्दे पर भारत मध्यस्थता इसलिए भी नहीं चाहता क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अत: भारत का मानना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देगा, तब तक कोई भी बातचीत स्वीकार्य नहीं है।
5. उफा सम्मेलन में नवाज शरीफ व मनमोहन सिंह के मध्य कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने के लिए सहमति प्रकट की गयी थी।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संघर्ष-समाधान की वर्तमान में सबसे विश्वसनीय और तर्क संगत तकनीकी द्विपक्षीय वार्ता और ट्रैक थ्री व ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, ऐसे प्रयास कश्मीर मुद्दे के समाधान में सहायक हो सकते हैं।

प्रश्न-2 : Critically examine the jurisdiction of International Court of Justice.

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (अंक-8)

उत्तर– अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के छ: प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्यालय हेग (नीदरलैण्ड) में स्थित है। इस न्यायालय के प्रशासनिक व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ उठाता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के लिए चुने जाते है, और इनको दुबारा भी चुना जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं–

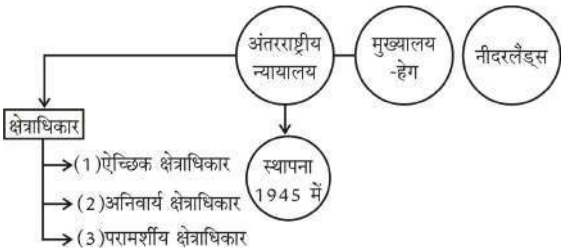

- इसमें केवल वे राष्ट्र शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और जो न्यायालय के कानून के पक्षकार हैं या जिन्होंने कुछ शर्तों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया है। ये विवादास्पद मामलों के पक्षकार होते हैं। इसमें राष्ट्रों का अपना कोई स्थायी प्रतिनिधि नहीं होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- न्यायालय केवल एक या अधिक राज्यों द्वारा ऐसा करने के अनुरोध करने पर विवाद सुन सकता है।
- इसे अपने निर्णयों को लागू कराने के लिए UNSC पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके पास अपने निर्णय लागू कराने के लिए स्वयं की कोई इकाई नहीं है।

वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य कानूनी विवादों का निपटारा करना है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष ऐजेंसियों द्वारा उठाए गए कानूनी प्रश्नों पर राय देना है अर्थात् इसके दो मुख्य कर्तव्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह कानूनी विवादों पर निर्णय लेता है तथा दो पक्षों के बीच विवाद पर फैसले सुनाता है और संयुक्त राष्ट्र की इकाइयों के अनुरोध पर परामर्श देता है। इसके निर्णय या परामर्श बाध्यकारी नहीं होते हैं, जिसके कारण यह बहुत प्रभावशाली नहीं होता है, पर इसने कई ऐसे निर्णय तथा परामर्श दिए हैं जो विश्व शांति में महत्वपूर्ण रहे हैं।

प्रश्न-3 : Throw light on the challenges and problems of farmers and agriculture sector in Uttar Pradesh. Suggest measures for improvement.

उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इनके सुधार के लिए सुझाव दीजिए। (अंक-8)

उत्तर– उत्तर प्रदेश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 26 प्रतिशत रहा है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में किसान व कृषि क्षेत्र के समक्ष विभिन्न समस्याएँ व चुनौतियां विद्यमान हैं, जिनके निवारण से ही कृषि क्षेत्र को एक लाभ का सौदा बनाया जा सकता है।

समस्याएं एवं चुनौतियां निम्नलिखित हैं-

- उत्तर प्रदेश में सीमान्त कृषकों की अधिकता के कारण कृषि क्षेत्र में निवेश कम है जिसमें सदैव निम्न उत्पादकता बनी रहती है।
- इसके अतिरिक्त, किसान कृषि साख हेतु असंगठित क्षेत्रों पर अधिक निर्भर है।
- उत्तर प्रदेश के किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति का कारण छोटे जोत तथा अशिक्षा भी है। परिणामस्वरूप ये न तो वैज्ञानिक कृषि कर पाते हैं और ना ही सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे कृषि बीमा, मृदा कार्ड इत्यादि का लाभ उठा पाते हैं।
- उत्तर प्रदेश में क्षेत्रगत विविधता पायी जाती है, जो कि लाभकारी कृषि हेतु समस्या व चुनौती दोनों उत्पन्न करती है। जैसे- पूर्वी उत्तर प्रदेश सदैव बाढ़ से ग्रस्त रहता है। दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीहड़ क्षेत्र की अधिकता पायी जाती है, तो वहीं बुन्देलखण्ड का क्षेत्र सूखा ग्रस्त होने के कारण कृषि की निम्न उत्पादकता बनी रहती है।

कृषि क्षेत्र में उपर्युक्त समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव निम्नलिखित है-

- ग्रामीण जनसंख्या को शिक्षित करना, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।
- सिंचित क्षेत्र बढ़ाकर मानसून पर निर्भरता को कम करना।
- आपदाओं के प्रकोप के दौरान किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना।
- उत्तर प्रदेश किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को आय प्रदान करना।
- एक उत्पाद, एक जिला योजना से प्रोत्साहन।
- कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना
- किसान क्रेडिट कार्ड से वित्तीय पहुँच सुनिश्चित करना।
- किसानों द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु प्रोत्साहन।

इन प्रयासों के साथ ही नीतियों का प्रभाव जमीनी स्तर तक पहुँचे इसके लिए प्रशासनिक दक्षता व नीतियों के क्रियान्वयन में सुधार लाने की आवश्यकता है।

प्रश्न-4 : What are electoral bond? Are they capable of bringing transparency in the political funding system?

चुनावी बान्ड क्या है? क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है? (अंक-8)

उत्तर–चुनावी बान्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेन्सी नोट की तरह उसकी वैल्यु या मूल्य लिखा होता है। यह बान्ड, व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चुनावी बॉन्ड 1000 रूपये, 10,000 रूपये, एक लाख रूपये, दस लाख और एक करोड़ रूपये के मूल्य में उपलब्ध हैं। यह राजनीतिक दलों को मिलने वाले चन्दे की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- कोई भी भारतीय नागरिक, संस्था या फिर कोई कंपनी चुनावी बाँड को खरीद सकती है।
- बॉन्ड खरीदने के लिए KYC फार्म भरना होता है, जिसने बॉन्ड दिया है उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन बैंक खाते की जानकारी रहेगी।
- चुनावी बॉन्ड की अवधि 15 दिन के लिए होगी, जिसमें राजनीतिक दलों को दान दिया जा सकेगा।
- प्रत्येक राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को बताना होगा कि बॉन्ड के जरिए उनको कितनी धनराशि मिली।

चुनावी बाण्ड से पूर्व न तो चंदा के स्रोत का पता चलता था और न ही चंदा प्राप्त करने वाले का। इस व्यवस्था के चलते देश में काला धन पैदा होता था और चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाता था। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर 2017 के बजट सत्र में सरकार ने गुमनाम नगद दान की सीमा को घटाकर 2000 रूपये कर दिया था, अर्थात 2000 से अधिक चन्दा मिलने पर राजनीतिक दल को बताना होगा कि उन्हें चन्दा किस स्रोत से प्राप्त हुआ है।

चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था के बाद राजनीतिक दल यह दावा नहीं करेंगे कि उन्हें 2–2 हजार रूपये के दान के माध्यम से बड़ी राशि में चन्दा मिला है। अगर वे ऐसा दावा करने लगे है तो यह एक तरह से राजनीति में कालेधन का इस्तेमाल जारी रहने पर मुहर लगाने जैसा ही होगा।

अंत में यह कहा जा सकता है कि चुनावी बॉन्ड जारी होने से राजनीतिक भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगेगी या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, किंतु कौन सी पार्टी किस जगह से पैसा जुटाती है और उसको दान देने वाले लोग कौन हैं, क्या वे विदेशी ताकतें हैं? इस बात का पता तो अवश्य चल जाएगा।

लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाएगी इसलिए यह प्रयास अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा और राजनीति में भ्रष्टाचार बना रहेगा। फिलहाल सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लगभग पारदर्शिता के बजाय पूर्ण पारदर्शिता वाले किसी अन्य विकल्प पर विचार किया जाय ताकि चुनावी चन्दे को भ्रष्टाचार और कालाधन से मुक्त किया जा सके।

प्रश्न-5 : What has been the impact of Self-Help-Groups (SHG's) on India's rural life? Describe.

भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूहों का क्या प्रभाव पड़ा है? वर्णन कीजिए। (अंक-8)

उत्तर–स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी सहायता से निर्मित उन छोटे एवं स्वैच्छिक समूहों से है, जो समस्तरीय व्यक्तियों द्वारा उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने, सामान्य समस्याओं को समाप्त करने तथा उसमें सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन लाने हेतु निर्मित होते हैं। यह समूह एक दूसरे से सामाजिक अन्तर्क्रिया तथा सभी सदस्यों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल देता है। स्वयं सहायता समूह का गठन 10 या 10 से अधिक सदस्य मिलकर स्वेच्छा से करते हैं। इनका उद्देश्य निर्धनता से मुक्ति तथा आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करना होता है। स्वयं सहायता समूहों ने भारतीय ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जो निम्नलिखित है-

- स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया है तथा ग्रामीण समुदाय को आवश्यक ज्ञान, वित्त, शक्ति, प्रशिक्षण और अवसर प्रदान किया है, जिससे ग्रामीण जीवन सशक्त हुआ है।
- स्वयं सहायता समूहों ने गरीबों को संगठित कर उनकी उत्पादकता एवं क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया है और व्यापक स्तर पर सफल भी हुए हैं।

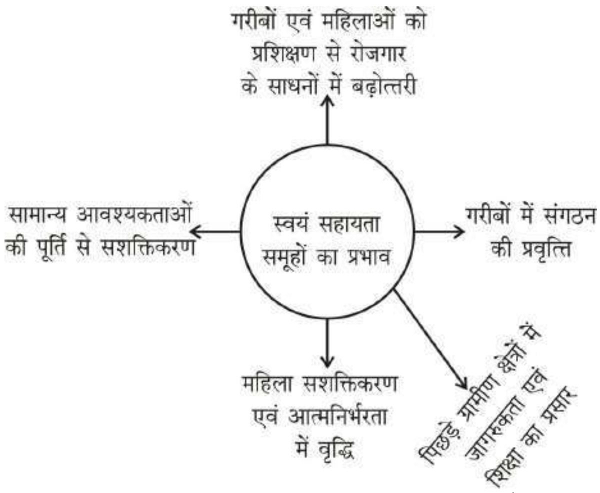

- स्वयं सहायता समूहों ने निधि सहायता, संसाधन और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर उनके सामुदायिक विकास को बढ़ावा दिया है।
- स्वयं सहायता समूहों ने पिछड़े इलाकों में कुपोषण की समस्या, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता आदि विषयों पर जागरूकता एवं शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिससे इस प्रकार की समस्याओं में कमी आई है।

अत: स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे ग्रामीण समुदाय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से सशक्त हुआ है।

प्रश्न-6 : Write a short note on the contribution of the Indian diaspora towards economic structure in India.

प्रवासी भारतीयों का भारत के आर्थिक व्यवस्था में योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। (अंक-8)

उत्तर–वे भारतीय जो भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जाकर बस गये हैं, उन्हें प्रवासी भारतीय कहते हैं। वर्तमान में प्रवासी भारतीय विश्व के विभिन्न देशों में निवास कर रहे हैं तथा वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं।

प्रवासी भारतीयों का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा अंतर प्रवाह में भारत का विश्व के शीर्ष देशों में स्थान है। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों ने वर्ष 2021–22 में 89,127 मि. डॉलर स्वदेश भेजा है।

→ इतना ही नहीं भारत सरकार प्रवासी उद्योगपतियों को भारत में निवेश को भी प्रोत्साहित कर रही है ताकि मुद्रा आपूर्ति के साथ–साथ तकनीकी हस्तानान्तरण भी सम्भव हो सके जिससे इसका उपयोग कर भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान किया जा सके।

→ प्रवासी भारतीयों के सहयोग से नये भारत के निर्माण तथा विकास को गति प्रदान करने के लिए वर्ष 2003 से भारत प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है।

इसका उद्देश्य प्रवासियों को भारत से जोड़ना तथा उन्हें भारत की हर क्षेत्र में मदद प्रदान करने को प्रोत्साहित करना है।

→ प्रवासी भारतीयों के भारत आगमन से पर्यटन को भी बल मिलेगा तथा इससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त

होंगे। इससे FDI अन्तर्प्रवाह को बल मिलेगा तथा आर्थिक व्यवस्था की गति तेज होगी।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि भारतीय प्रवासियों का अर्थव्यवस्था को गति देने में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

प्रश्न-7 : In what ways does the Indian federal system differ from the federal system in United States of America (USA)? Explain. (अंक-8)

भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमरीकी (यू.एस.ए) संघीय व्यवस्था से भिन्न है? व्याख्या करें।

उत्तर- भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि 'भारत राज्यों का एक संघ होगा'। संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को अपनाया गया है।

भारत की संघीय व्यवस्था अमरीकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार भिन्न है-

→ भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है अर्थात अमेरिका में केन्द्र के साथ–साथ राज्य की भी नागरिकता प्रदान की जाती है।

→ भारत की संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का निवार्चन 5 वर्ष के लिए किया जाता तथा दो या दो अधिक बार वह राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता तथा यह भी आवश्यक नहीं है कि वह जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए।

→ भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार, कदाचार आदि संलिप्त व्यवस्थाओं में महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है।

→ अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली तथा भारत की संसदीय प्रणाली दोनों में बहुत ही अन्तर है। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक होता है जबकि भारत में नाममात्र का होता है।

→ अमेरिका में राज्यों की सहमति के बिना राज्यों के नाम, आकार तथा भू-भाग में परिवर्तन नहीं हो सकता है जबकि भारत में राज्यों के नाम, भू-भाग तथा आकार में परिवर्तन के लिए राज्यों (प्रांतों) की सहमति आवश्यक नहीं है।

→ अमेरिका में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का प्रत्येक स्तर पर विभाजन पाया जाता है जैसे संघीय न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका अलग–अलग है जबकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान है।

→ अमेरिका में प्रत्येक राज्य का गवर्नर आम जनता द्वारा निर्वाचित होता है जबकि भारत में गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

अत: उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि भारत की संघीय व्यवस्था, अमेरिका की संघीय व्यवस्था से पर्याप्त भिन्न है।

प्रश्न-8 : Describe those special powers of the council of states (Rajya Sabha) which are not enjoyed by the Lok Sabha, under the Indian Constitution.

राज्य सभा के उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए, जो कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। (अंक-8)

उत्तर– राज्यसभा संसद का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इसे लोकसभा की तुलना में कुछ कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, किन्तु कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर राज्य सभा को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ये शक्तियाँ निम्न हैं–

1. **अनुच्छेद 249–** राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यत: राज्यों को होता है किन्तु यदि राज्य सभा अपने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाये, तो संसद ऐसा कानून बनाने के लिए अधिकृत हो जाती है।
2. **अनुच्छेद 312–** यदि राज्य सभा अपने सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसा घोषित करती है कि राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि बनाकर संघ एवं राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।
3. अनु. 67 (ख) के तहत उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य सभा में लाया जाता है जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो।

   उपर्युक्त शक्तियों के अलावा अन्य मामलों में लोकसभा को राज्यसभा पर वरीयता दी जाती है। यह वरीयता वित्तीय मामलों पर प्राप्त है जबकि अन्य मामलों पर राज्य सभा व लोक सभा को समान अधिकार प्राप्त है।

प्रश्न-9 : Evaluate the use of VVPAT in the General Election of India. (अंक-8)

भारत के आमचुनाव में मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) के प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर–मतदाता सत्यापन पर्ची (वोटर वेरिफायड पेपर ऑडिट ट्रायल) मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का तरीका है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की स्वतंत्र पुष्टि है। यह व्यवस्था मतदाता को इस बात की पुष्टि करने की अनुमति देता है कि उसका मत इच्छानुसार पड़ा या नहीं। इसे वोट बदलने या वोटों को नष्ट करने से रोकने के अतिरिक्त उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

- VVPAT प्रिंटर के समान एक प्रकार की मशीन होती है, जिसे EVM के साथ जोड़ा जाता है।
- यह मशीन वोट डालने की पुष्टि करती है। इस मशीन को भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है।
- इसमें मतदाता द्वारा उम्मीदवार के नाम का बटन दबाते ही, उस उम्मीदवार के नाम और राजनीतिक दल के चिन्ह की पर्ची अगले 10 सेकेंड से मशीन से बाहर निकल जाती है।
- इसके बाद यह पर्ची एक सुरक्षित बक्से में गिर जाती है। पर्ची एक बार दिखने के बाद EVM से जुड़े कंटेनर में चली जाती है।

EVM के लगे शीशे के एक स्क्रीन पर यह पर्ची कुछ सेकण्ड तक दिखाई देती है।

- VVPAT की मदद से प्रत्येक मत से संबंधित जानकारियों को प्रिंट करके मशीन में स्टोर कर लिया जाता है और विवाद की स्थिति में इस जानकारी की मदद से इन विवादों का निपटारा किया जाता है।
- भारत में VVPAT का सबसे पहले प्रयोग 2013 में नागालैण्ड में किया गया था।

मतदान के दौरान VVPAT मशीनों के प्रयोग से मतदाता पारदर्शिता का अनुभव कर रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ मोर्चों पर सुधार की जरूरत है। हैकिंग की रूसी तकनीक जिसमें की चुनाव कराने वाले अधिकारियों को ''फ्रॉड मेल्स'' एवं अन्य दुर्भावनापूर्ण तरीके से गलत आदेश दिए जाते है, से बचाव के प्रयास होते रहने चाहिए। विदित हो कि VVPAT के मशीनों के प्रयोग से समूची मतदान प्रक्रिया में 3 से 4 घण्टे विलम्ब संभव है।

अत: VVPAT आधारित चुनाओं की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए एक आंतरिक समिति की स्थापना की जानी चाहिए, जो इस विलम्ब को ध्यान में रखते हुए व्यवधान मुक्त चुनाव के रास्ते सुझा सके।

प्रश्न-10 : Examine the Constitutional Position of the Comptroller and Auditor General of India.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। (अंक-8)

उत्तर– भारत के संविधान (अनु.148) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक (CAG) कहा गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं अपने हाथो मुहर युक्त अधिपत्र द्वारा की जाती है। अपना पद ग्रहण करने से पहले कैग तीसरी अनुसूची में अपने प्रयोजनों के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिज्ञा लेता है।

- यह लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ–साथ देश के सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है, इसका नियंत्रण सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था पर होता है।
- इसका नियंत्रण राज्य एवं केन्द्र दोनों स्तरों पर होता है।
- अनुच्छेद 149 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्यों के तथा अन्य किसी प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाय और जब तक इस निमित्त और इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले क्रमश: भारत डोमेनियन के और प्रान्तों के लेखाओं के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को प्रदत्त थी।
- अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप– संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श के पश्चात विहित करे।
- अनुच्छेद 151 के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संघ के लेखाओं सम्बन्धित रिपोर्टों के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया जाएगा।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उस राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाया जाएगा।

SECTION B/खण्ड-ब

प्रश्न-11 : How will the withdrawal of U.S. Troops from Afghanistan affect India? Comment. (अंक-12)

अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी? टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों के स्वदेश वापसी की घोषणा की गयी थी। जिसका परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान पर 15 अगस्त, 2021 को फिर से तालिबानी शासन स्थापित हो गया। हालांकि भारत सरकार द्वारा तालिबान के प्रति संतुलित रवैया अपनाए जाने से भारत को काफी हद तक सहूलियत मिली है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की उक्त घोषणा के प्रभाव निम्नलिखित है–

1. अफगानिस्तान में भारत का निवेश प्रभावित हुआ। भारत ने देलांगजेलराम, सलमा डैम और काबुल ट्रांसमिशन विद्युतीकरण जैसी अनेक योजनाओं में अपना निवेश किया हुआ है।
2. इससे भारत का मध्य एशिया के साथ व्यापार भी प्रभावित हुआ।
3. भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हुई, क्योंकि तापी परियोजना अफगानिस्तान से होकर गुजरती है और ऐसे में उसे उसके सफल होने की संभावनाएँ कम ही हैं।
4. इस घटना से भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
5. अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के परिणाम स्वरूप वहाँ तालिबान का कब्जा हो गया। हालांकि भारत के सम्बन्ध तालिबान से संतुलित है।
6. सार्क जैसे संगठन में पाकिस्तान को भारत के विरोध में एक नया सहयोगी मिल सकता है।
7. भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिल सकता है, जिसे भारत में सांप्रदायिकता की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो सकती है।
8. अफगानिस्तान में चल रही भारत की अनेक कल्याणकारी योजनाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के स्वदेश वापसी से भारत पर नकारात्मक प्रभावों के साथ कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं- जैसे कि भारत को अफगानिस्तान में एक अलग भूमिका अदा करने का मौका मिला है। अपनी नई कूटनीतिक और वैश्विक छवि का प्रयोग करके भारत अफगानिस्तान की नयी सरकार को अपने साथ लाकर वहाँ शांति बहाली का प्रयास कर रहा है।

प्रश्न-12 : Discuss the nature of India China relation in the light of OBOR

OBOR के आलोक में भारत चीन सम्बन्धों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। (अंक-12)

उत्तर– चीन द्वारा 2013 में ओबोर (OBOR) नीति की घोषणा के साथ–साथ अपनी विस्तारवादी एवं नव साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को सुदृढ़ता प्रदान की गयी। जिसका मुख्य उद्देश्य एशिया के साथ-साथ अफ्रीका एवं यूरोप तक अपनी पहुँच को सुनिश्चित करना था।

चीन की विस्तारवादी नीति और उसका नव साम्राज्यवादी दृष्टिकोण हमेशा से भारत के साथ उसके सम्बन्धों के बीच तनाव का मुख्य कारण रहा है। ओबोर (One Belt One Road) परियोजना के परिप्रेक्ष्य में भारत-चीन संबंधों की प्रकृति शुरू से ही एक दूसरे के प्रति तनावपूर्ण रही, जिसके निम्नलिखित कारण हैं–

1. भारत के अनुसार ओबोर परियोजना चीन की नव साम्राज्यवादी अभिप्रेरणा से ग्रसित परियोजना है तथा भारत स्वतंत्रता के पश्चात् से ही नव साम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी रहा है।
2. चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) ओबोर परियोजना का ही एक हिस्सा है, जो पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट-बालटिस्तान से गुजरता है, उसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है।
3. ओबोर के माध्यम से चीनी कम्पनियां भारतीय कंपनियों को असंतुलित प्रतिस्पर्धा पेश करेंगी।
4. भारत, ओबोर को हिंदमहासागर में भारत को घेरने की चीन की रणनीति के रूप में देखता है।
5. भारत इसे अपने पड़ोसियों को चीन द्वारा भारत से अलग–थलग करने के रूप में देखता है, जैसा कि नेपाल और बांग्लादेश के संदर्भ में देखा जा सकता है।
6. ओबोर के माध्यम से चीन हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित कर भारत के लिए वाणिज्य, व्यापारिक, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां दे सकता है।
7. यह परियोजना भारत के लिए सामरिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से घातक साबित हो सकती है।

21वीं सदी में युद्ध आर्थिक नीतियों का युद्ध है, कूटनीतिक चालों का युद्ध है। चीन के अनुसार ओबोर उसकी साफ्टडिप्लोमेसी का एक हिस्सा है किसी छद्म रणनीति का नहीं। इस आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों को सकारात्मक रूख अपनाना चाहिए और शायद भारत और चीन दोनों को इस बात का एहसास है, तभी तो चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश भी है। चीन की ओबोर परियोजना के जवाब में भारत ने प्रशांत महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है।

प्रश्न-13 : The action of Indian Government on Article 370 has changed the Status Quo in Jammu and Kashmir. How will it effect the development in the region? Discuss.

धारा 370 पर भारत सरकार की कार्यवाही ने जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है। यह इस क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? चर्चा कीजिए। (अंक-12)

उत्तर– 6 अगस्त, 2019 को केन्द्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन दो संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का प्रस्ताव किया। इस संदर्भ में संसद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित किया, जो जम्मू-कश्मीर को विधायिका वाला संघ राज्य क्षेत्र बनाने का प्रावधान करता है।

सरकार का यह फैसला राज्य में विकास गतिविधियों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करेगा–

1. अब तक राज्य में विशेष दर्जे से वहाँ पर निवेशक कम रूचि लेते थे, परन्तु नये प्रावधानों से अब निवेशक राज्य में भूमि लेकर निजी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सकेंगे।
2. नई औद्योगिक इकाइयों के आने से तथा निवेश बढ़ने से वहाँ रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। अनुच्छेद 35ए एवं अनुच्छेद 370, विकास के रास्ते में बाधा थे जिससे वहाँ कोई भी निवेश नहीं कर सकता था।
3. नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद की भावना कम होगी तथा इसके पूरे भारत से जुड़ाव होगा, जो यहाँ की विकास की गति को नई दिशा देगा।
4. जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के कारण बाहरी लोग वहाँ नौकरी करने से बचते थे, क्योंकि उनके बच्चों को वहाँ की सुविधाएं नहीं मिलती थी, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिलती थी तथा वे वहाँ जमीन खरीद कर अपना घर नहीं बना सकते थे। अब नई व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बाहरी प्रतिभाओं को वहाँ आकर्षित किया जा सकता है।
5. जम्मू-कश्मीर को केन्द्रशासित राज्य बनाने से अब केन्द्र सरकार वहाँ के विकास कार्यों की रूप रेखा बनाकर उसे वहां सही तरीके से लागू कर सकती है।
6. अभी तक महिलाओं, बच्चों तथा शिक्षा से संबंधित अनेक कानून जो राज्य में लागू नहीं होते थे, अब वे राज्य में लागू होंगे जिससे महिलाओं का विकास होगा और वे आर्थिक विकास की बन सकेंगी।
7. राज्य की स्थिति में परिवर्तन, राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा जो राज्य में विकास का वाहक हो सकता है।
8. राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास हो सकेगा, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा।
9. राज्य में बैंकिंग प्रणाली का विकास और सुदृढ़ीकरण होगा तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।
10. राज्य में सूचना का अधिकार और अन्य कानूनों के लागू होने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा तथा भ्रष्टाचार कम होगा।

सरकार सभी कश्मीरियों के लिए एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करके अनुच्छेद 370 हटाये जाने से उत्पन्न चुनौतियों को कम कर सकती है। इसी संदर्भ में कश्मीर समस्या के समाधान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के कश्मीरियत, इंसानियत, जम्हूरियत (कश्मीर की समावेशी संस्कृति, मानवतावाद और लोकतंत्र) के प्रारूप को राज्य में सुलह हेतु आधारशिला बनाना चाहिए।

प्रश्न-14 : Discuss the reasons, objectives and functions of NITI Aayog and describe the recently re-organized NITI Aayog.

नीति आयोग के गठन के कारण, उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। (अंक-12)

उत्तर–योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार द्वारा मंत्रिमण्डल के एक संकल्प के तहत 1 जनवरी, 2015 को इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया है।